मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

गुरूवार, दिनांक 19 फरवरी 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

पात्र ग्रामों को योजना से जोड़ा जाना

1. **(*क्र. 473) श्री कुंवर सिंह टेकाम :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में कितने राजस्व ग्राम हैं ? जनसंख्या सहित जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कितने ग्रामों को जोड़ दिया गया है एवं कितने ग्राम प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने शेष हैं ? जानकारी उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में जितने ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जोड़ने शेष हैं, उन्हें कब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा ? समय सीमा बतायें ? (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनका मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है ? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अन्तर्गत कुसमी, मझौली एवं देवसर विकासखण्ड में क्रमशः 130, 130 एवं 218 राजस्व ग्राम है शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है ।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है ।** (ग) सीधी जिले के कुसमी एवं मझौली विकासखण्ड में क्रमशः 16 एवं 2 ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पात्र ग्राम जुड़ना शेष है किन्तु उक्त ग्राम क्रमशः रिजर्व फोरेस्ट क्षेत्र एवं निजी भूमि होने के कारण सडक निर्माण नहीं कराया जा सकता है जबकि सिंगरौली जिले के देवसर विकासखण्ड के 24 पात्र ग्राम जुड़ना शेष है जिसमें से 12 ग्रामों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है एवं 10 मार्गों के डीपीआर तैयार कर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत शासन को भेजे गये हैं, स्वीकृति अपेक्षित है । दो ग्रामों के स्वीकृत कोरनेटवर्क में सम्मिलित नहीं होने से जोड़ा नही जा सका है । उक्तानुसार यथा संभव कार्यवाही की जा रही है । निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है । (घ) जी हाँ । पैकेज की पूर्णता तिथि से आगामी 5 वर्ष तक गारंटी अवधि में मार्ग का मरम्मत कार्य, मार्ग निर्माण करने वाले ठेकेदारों से कराया जाता है । गारंटी अवधि पश्चात आगामी 5 वर्षो के लिए नवीन एजेन्सी निर्धारित कर संधारण कार्य कराया जाता है ।

गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाना

2. **(*क्र. 56) श्री मुकेश नायक :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के लिये सस्ते राशन पाने की पात्रता के संबंध में कुल कितने राशन कार्ड मार्च 2014 तक जारी किये गये ? (ख) इन कार्डों के आधार पर सस्ता राशन पाने वाली कुल जनसंख्या कितनी है ? (ग) वर्तमान में सस्ता राशन उपलब्ध कराने की सरकारी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह, प्रति व्यक्ति कितना अनाज किस कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) मध्यप्रदेश में मार्च 2014 तक अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 16,88,467 परिवारों को एवं प्राथमिकता परिवार के अंतर्गत सम्मिलित बी.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत 59,36,184 परिवारों को सस्ता राशन पाने के लिए पात्रता पर्ची जारी की गई थी । (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परिवारों की कुल जनसंख्या मार्च 2014 की स्थिति में 3,27,27,509 थी । (ग) वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रतिमाह 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रतिमाह 5 कि.ग्रा. प्रति सदस्य के मान से 1 रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है ।

प्रदेश में खाद की मांग एवं आपूर्ति

3. **(*क्र. 478) श्री रामनिवास रावत :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा कितना मैट्रिक टन खाद की मांग केन्द्र सरकार से की गई ? मांग के विरूद्ध कितना मैट्रिक टन खाद कब-कब प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराया गया ? कृपया बतावें ? (ख) वर्ष 2014-15 में रबी फसल की बोअनी हेतु प्रदेश में कितना मैट्रिक टन यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरक की आवश्यकता का आंकलन कर जिलों से कितना-कितना उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु जिलो से मांग पत्र भेजे गए एवं मांग के विरूद्ध कितना-कितना यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद कब-कब उपलब्ध कराया गया ? जिलेवार जानकारी दें ? (ग) जिला श्योपुर एवं मुरैना में उर्वरक की मात्रा का आंकलन किन-किन अधिकारियों द्वारा कर मांग पत्र भेजे गए ? मांग के विरूद्ध कितना-कितना यूरिया, कब-कब उपलब्ध कराया गया ? कृपया तहसीलवार जानकारी दें ? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (ग) अनुसार मांग का सही आंकलन न किए जाने एवं प्रशासन द्वारा समय पर खाद उपलब्ध न कराने के कारण किसानों को वास्तविक दामों से अधिक दामों पर खाद व्यापारियों से ब्लैक में खरीदना पड़ा एवं प्रशासन द्वारा सही समय पर उचित मात्रा में खाद उपलब्ध न कराने के कारण कृषकों द्वारा आंदोलन, प्रदर्शन एवं चक्काजाम किए गए जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तथा थानों से खाद बांटना पड़ा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) रबी 2014-15 हेतु भारत सरकार से 24.85 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की मांग की गई एवं 25.60 लाख मैट्रिक टन उर्वरक का आवंटन किया गया, जिसके विरूद्ध दिनांक 01.10.2014 से 02.02.2015 तक 19.19 लाख मैट्रिक टन उर्वरक प्रदेश में प्राप्त हुआ । (ख) रबी 2014-15 में भारत सरकार द्वारा यूरिया

12.50 लाख मैट्रिक टन एवं डी.ए.पी. 4.00 लाख मैट्रिक टन का आवंटन दिया गया, जिसके आधार पर जिलों को जारी लक्ष्य एवं दिनांक 01.10.2014 से 02.02.2015 तक उपलब्ध कराये गये यूरिया एवं डी.ए.पी. की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है** । (ग) भारत सरकार से प्राप्त यूरिया के आवंटन के आधार पर जिलों को लक्ष्य जारी किये गये जिसके आधार पर श्योपुर एवं मुरैना की मांग क्रमश: 20150 मैट्रिक टन एवं 36400 मैट्रिक टन है । भारत सरकार से प्राप्त यूरिया के आधार पर दिनांक 01.10.2014 से 02.02.2015 तक श्योपुर जिले में 19629 मैट्रिक टन एवं मुरैना जिले में 37201 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया । तहसीलवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है** । (घ) उर्वरक की उपलब्धता के अनुसार किसानों को उर्वरक उपलब्ध करवाया गया । कृषकों द्वारा आंदोलन, प्रदर्शन एवं चक्काजाम करने की स्थिति निर्मित नहीं हुई है और न ही श्योपुर एवं मुरैना जिले में थानों से यूरिया का वितरण किया गया है ।

परिशिष्ट -"एक"

सलाहकार फर्मों को दिये गये कार्य

4. **(*क्र. 298) श्री विश्वास सारंग :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न संख्या 12 (क्र. 98) दिनांक 8 दिसंबर 2014 के तहत वर्ष 2010 से 13 के बीच प्रदेश स्तर पर किन-किन सलाहकार फर्मों को कार्य दिया गया ? फर्म का नाम, पता सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत ऐसी कितनी फर्में हैं, जिन्हें पूर्व में विभाग ने ब्लैक लिस्टेड और अपात्र किया था ? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत ब्लैक लिस्टेड और अपात्र फर्मों को किस नियम के तहत कार्य दिया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रश्न संख्या 12 (क्र. 98) दिनांक 8 दिसम्बर 2014 के तहत वर्ष 2010 से 13 के बीच ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) में कार्यरत सलाहकार फर्म की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) उत्तरांश (क) के तहत ऐसी कोई सलाहकार फर्म नहीं है, जिसे विभाग ने ब्लैक लिस्टेड और अपात्र किया है । (ग) उत्तरांश (ख) के तहत शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -"दो"

ब्याज अनुदान राशि का प्रदाय

5. **(*क्र. 385) श्री सचिन यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन की प्राथमिक सहकारी समितियों को दी जाने वाली ब्याज की अनुदान राशि प्रदाय की गई है, हाँ तो समितिवार, राशिवार एवं शेष दी जाने वाली राशि कितनी-कितनी है और कब तक प्रदाय की जायेगी दिनाँकवार बतायें ? (ख) प्रश्नांश

(क) अनुसार उक्त केन्द्रीय बैंक द्वारा फसल बीमा किया जाता है, हाँ तो किसानों से प्रति एकड़ कितनी राशि जमा कराई जाती है और प्राकृतिक व अन्य आपदाओं के कारण फसल नष्ट व खराब होने से संबंधित बीमाधारक किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि प्रदाय की जाती है ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत पॉच वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक कितने कृषकों को फसल नुकसानी पर कितनी-कितनी राशि का लाभ दिया गया ? साथ ही समय पर नहीं दिये गये लाभ से वंचित किसानों की भी संख्या कितनी-कितनी है तथा नहीं दिये जाने के कारणों का उल्लेख करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. विगत 05 वर्षों में समितिवार उपलब्ध कराई गई ब्याज अनुदान की राशि तथा प्राप्ति योग्य राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है.** ब्याज अनुदान की प्राप्ति योग्य राशि स्वीकृति की प्रक्रिया में है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) जी हां. फसल बीमा हेतु प्रति एकड़ प्रीमियम राशि निर्धारित नहीं है. फसल खराब होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति निर्धारण की प्रक्रिया की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**. (ग) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 05 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक पात्रताधारी 500 कृषकों को रूपये 3,34,437.76 की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई है. मौसमवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है.** समय पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से कोई पात्र किसान वंचित नहीं है. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है.

रिक्त पदों की पूर्ति

6. **(*क्र. 543) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अनुविभागीय अधिकारी कृषि कार्यालय विकासखण्ड ब्यावरा में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, उनमें कौन-कौन से पद कब से रिक्त है ? (ख) क्या यह सही है कि कृषि कार्यालय ब्यावरा में अनुविभागीय अधिकारी सहित आधे से अधिक कृषि विस्तार अधिकारी (ए.डी.ई.ओ.) के पद लम्बे समय से रिक्त होने से कृषकों को शासन द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा सभी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को न होकर अपात्र व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है ? (ग) क्या यह भी सही है कि कृषि कार्यालय ब्यावरा का भवन लगभग 25-30 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था, जो विभाग की आवश्यकता के अनुरूप न होकर अपर्याप्त था, वह भी वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण होकर लगभग ध्वस्त हो चुका है ? वर्षाकाल में विभाग का कागजी रिकार्ड भी अलमारियों व टेबलों को प्लास्टिक से ढक कर बचाया जाता है तथा भवन गिरने के भय से कर्मचारी भी कार्यालय में काम नहीं कर पाते है ? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन नवीन कृषि कार्यालय भवन की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्रदान करने की कार्यवाही करेगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राजगढ़ जिले के अनुविभागीय अधिकारी कृषि कार्यालय विकासखंड ब्यावरा में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है** । (ख) जी नही । कृषि कार्यालय ब्यावरा में अनुविभागीय कृषि अधिकारी

का पद न होकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का पद है जो भरा हुआ है । कृषि विस्तार अधिकारी (ए.डी.ई.ओ.) के पद विभाग में नहीं हैं, विभाग में कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध 17 भरे होने से शासन द्वारा प्रदत्त सभी योजनाओं का वास्तविक लाभ हितग्राहियों को दिया जा रहा है । (ग) जी हाँ । भवन मरम्मत योग्य है, कर्मचारियों के भयभीत होने की स्थिति नहीं है । (घ) जी हाँ । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है** ।

परिशिष्ट -"तीन"

गेहूँ उपार्जन में अनियमितता

7. **(*क्र. 417) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य के अता. प्रश्न संख्या 43 (क्र. 406) में दिनाँक 08.10.2014 के प्रश्नांक (ग) में उत्तर दिया गया है, कि किसी भी उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा जमा की गई मात्रा से अधिक भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है ? (ख) क्या यह भी सही है कि जिला विपणन अधिकारी कटनी द्वारा दिनाँक 12.02.2014 को जिला आपूर्ति के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में 2013-2014 के गेहूँ उपार्जन में लगभग 26 लाख रुपया अधिक भुगतान करने का उल्लेख है, एवं 08.08.2014 को कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी जानकारी में 6,254 क्विंटल गेहूँ अमान्य किये जाने का उल्लेख है । जबकि प्रश्न संख्या 43 (क्र. 406) के परिशिष्ट में भिन्न मात्राएँ दर्शित है ? (ग) क्या यह भी सही है कि जिले की खाद्य शाखा द्वारा समिति प्रबंधकों को वर्ष 2012-2013 में उपार्जित मात्रा के अनुसार गेहूँ जमा न करने के लिये कारण दर्शी सूचनापत्र दिये गये है ? यदि हाँ, तो कौन-कौन समिति प्रबंधकों को कितनी मात्रा कम या अधिक जमा करने का नोटिस दिया गया और उसका क्या निराकरण किया गया ? (घ) प्रश्न संख्या 43 (क्र. 406) गलत और विसंगतिपूर्ण उत्तर देने के लिये कौन अधिकारी दोषी है तथा शासन उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा और कब ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ । (ख) जी नहीं, जिला विपणन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.02.2014 को जिला आपूर्ति अधिकारी के समक्ष ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है एवं दिनांक 08.08.2014 को कलेक्टर के हस्ताक्षर से 6,254 क्विंटल गेहूं अमान्य किए जाने संबंधी कोई जानकारी नहीं भेजी गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश ख एवं ग के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

यातायात व्यवस्था में सुधार

8. **(*क्र. 450) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर शहर में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक क्षेत्रिय परिवहन विभाग द्वारा कितनी टाटा मैजिक, सिटी वेन, रिक्शा, सिटी बस, विभिन्न कम्पनियों की केब वाहनों को

यातायात व्यवस्था हेतु परमिट दिया गया है, संख्या स्पष्ट करें ? (ख) क्या यह सही है कि क्षेत्र में नागरिकों के लिये सुगम यातायात व्यवस्था हेतु क्षेत्र की जनसंख्या के मान से वाहनों को परमिट दिये जाते है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही नहीं है कि इन्दौर शहर की जनसंख्या के मान से प्रश्नांश (क) अनुसार जारी परमिट बहुत अधिक है, जिसके कारण क्षेत्र की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, स्पष्ट करें क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) इन्दौर शहर में वर्ष 2012-13 से प्रश्न पूछे जाने तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इन्दौर से टाटा मैजिक, सिटी वैन, ऑटो रिक्शा, सिटी बस एवं केब वाहनों को कुल 1643 स्थाई एवं 1505 अस्थाई परमिट स्वीकृत किये गये है जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी नही, मोटरयान अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये नियमो में जनसंख्या के मान से परमिट स्वीकृत किये जाने के प्रावधान नहीं है । उक्त प्रश्नांश के उत्तर के प्रकाश में शेष प्रश्नांश का उत्तर अपेक्षित नहीं ।

परिशिष्ट - "चार"

रासायनिक खाद की कालाबाजारी

9. **(*क्र. 249) श्री हर्ष यादव :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिलान्तर्गत वर्तमान में कितने और कहाँ-कहाँ, कौन-कौन रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक आदि के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता हैं ? विभाग द्वारा कब-कब इनका निरीक्षण विगत दो वर्षों में कराया गया है ? (ख) विगत दो वर्षों में नकली खाद, उर्वरक आदि तथा कालाबाजारी के संबंध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई ? इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विभाग के अधिकारियों द्वारा इन विक्रेताओं की अनियमितताओं आदि को लेकर कब-कब जाँच की गई व क्या-क्या कार्यवाही की है ? (ग) सागर जिले में रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी व अमानक खाद के कितने प्रकरण विगत दो वर्षों में विभाग/शासन के संज्ञान में आए ? विवरण देते हुए उनके विरूद्ध की गई आपराधिक प्रकरणों आदि की स्थिति बतावें ? विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) सागर जिले में प्रश्नांकित अवधि में रासायनिक उर्वरक के 295 एवं कीटनाशक औषधियों के 182 अनुज्ञप्तधारी विक्रेता है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है** । विगत दो वर्षों में हुये निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है** । (ख) प्रश्नांकित अवधि में नकली उर्वरक तथा कालाबाजारी के संबंध में लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अपितु दूरभाष से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक व्यक्ति श्री श्याम सुन्दर कटारे ग्राम घुघरी के निवास पर बिना अनुमति के उर्वरक का अवैध भण्डारण पाया गया जिसकी एफ.आई.आर. क्र. 354/13 दिनांक 08.08.2013 दर्ज की गई । (ग) सागर जिले में उर्वरक की कालाबाजारी के एक प्रकरण में श्री श्याम सुन्दर कटारे ग्राम घुघरी के निवास पर बिना अनुमति के उर्वरक का अवैध

भण्डारण पाया गया, जिसके विरूद्ध एफ.आई.आर. क्र. 354/13 दिनांक 08.08.2013 दर्ज की गई है । 17 अमानक प्रकरण में की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है** ।

ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति में अनियमितता

10. **(*क्र. 466) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति में हुई मनमानी/अवैधानिक कार्यवाही के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 09.01.15 को कलेक्टर, जिला रीवा को लेख किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हाँ, तो क्या ग्राम रोजगार सहायक पद के लिए उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है ? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि जी हाँ, तो रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना के ग्राम पंचायत अर्जुनपुर पैकान में श्रीमती बबली सिंह पत्नी श्री सुखेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत दुगौली में श्री रोहित सिंह आ.श्री कमलमान सिंह को संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी न होने के कारण नियुक्ति नहीं की गई एवं जनपद पंचायत नईगढ़ी के ग्राम पंचायत डिहिया पडांन में ज्योति पाण्डेय आ.श्री सूर्यमणि पाण्डेय को उसी ग्राम पंचायत का निवासी न होने के बाद भी क्यों नियुक्ति दी गई ? क्या एक ही जिले में अलग-अलग नियम हैं ? क्या संबंधित दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाऐगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एवं (ख) जी हां (ग) जिला पंचायत रीवा में जांच की कार्यवाही प्रचलित है ।

वर्षा से धान भीगने पर हुई क्षति

11. **(*क्र. 121) श्री मोती कश्यप :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि जिला कटनी एवं जबलपुर में चालू वर्ष में किन्हीं स्थानों में धान का उपार्जन किया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांश (क) जिलों और उनके उर्पाजन केन्द्रों में बारदाना की कुल अनुमानित आवश्यकता के विरूद्ध कितनी उपलब्धता के रहते कितना-कितना बारदाना उपलब्ध कराया गया है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) (ख) उपार्जन केन्द्रों में दिसम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 की किन्हीं तिथियों में हुई वर्षा से किन केन्द्रों में तुलाई के लिये आयी कुल धान में से कितनी धान भीगी है और उससे कितनी क्षति हुई है ? (घ) प्रश्नांश (ग) के कितने कृषकों को कितनी धान का उपार्जन नहीं किया गया और कितनी किन गुणवत्ता के कारण वापस कर दी गयी है ? (ड.) प्रश्नांश (ग) क्षति के लिये विभागीय अधिकारियों द्वारा बारदाना उपलब्ध न कराने, उपार्जन न करने और प्राकृतिक आपदा से बचाव न करने के लिये कौन जिम्मेदार है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है और कृषको को क्या मुआवजा प्रदान किया गया है ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ । (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिलों में धान उपार्जन हेतु बारदाने की अनुमानित आवश्यकता, प्रारंभिक उपलब्धता एवं प्रदाय मात्रा की

जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है । (ग) कटनी जिले में माह दिसंबर, 2014 एवं जनवरी, 2015 में हुई वर्षा से 82.12 मै.टन धान भीगी है । उपार्जन केंद्रवार भीगी हुई धान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है** । धान सूखने पर एफएक्यू की गुणवत्ता होने से उसका उपार्जन कर लिया गया है । इस प्रकार जबलपुर एवं कटनी जिले में वर्षा से भीगी धान से कोई क्षति नहीं हुई है । (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ड.) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "पाँच"

सांई बीज उत्पादन समितियों की जांच

12. **(*क्र. 344) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील में संचालित सांई बीज उत्पादन समिति दरगांव खुर्द एवं सांई बीज समिति दरगांव कला द्वारा किसानों को सोयाबीन का बीज दिया गया था, जो अमानक स्तर का था ? क्या उक्त उत्पादन समिति का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाकर तथा उक्त समिति की जॉच कराई जावेगी ? समिति द्वारा गत वर्ष 2014 में कितने किसानों को बीज वितरण किया गया ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सांई बीज उत्पादन समिति दरगांव खुर्द एवं सांई बीज समिति पंचमपुरा को किस वर्ष में रजिस्टर्ड किया गया था तथा इसको पंजीकृत करके संचालन कराने हेतु किस सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया था ? (ग) यह भी सत्य है कि गत वर्ष 2014 में किसानों को दिये गये सोयाबीन के बीज को शासन के किस अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया था तथा किसानों के बीज खराब पाये जाने पर क्षेत्र के किसानों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई परन्तु कोई भी कार्यवाही समिति के विरूद्ध नहीं की गई ? क्या उक्त समिति की उच्च स्तरीय जांच करायेगें, यदि हाँ, तो कब तक ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) टीकमगढ जिले की मोहनगढ तहसील में संचालित सांई बीज उत्पादक समिति दरगावखुर्द द्वारा अमानक स्तर का सोयाबीन का बीज वितरित नहीं किया गया । इस समिति के द्वारा वर्ष 2014 में 20 कृषकों को सोयाबीन बीज का वितरण किया गया । जिले में सांई बीज समिति दरगावकलां नाम की कोई संस्था पंजीकृत नहीं है । शेष कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता । (ख) श्री सांई बीज उत्पादन समिति दरगावखुर्द का पंजीयन उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला टीकमगढ के द्वारा वर्ष 2009 में किया गया । सांई बीज समिति पंचमपुरा नाम की कोई भी समिति पंजीकृत नहीं है । (ग) प्रश्नांकित अवधि में समिति के द्वारा वितरित सोयाबीन बीज (मात्रा 54.60 क्विंटल) का प्रमाणीकरण, सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, जतारा, टीकमगढ के द्वारा मानक होने का प्रमाणित किया गया । खराब बीज के संबंध में किसानों द्वारा शिकायत किया जाना नहीं पाया गया । शेष प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण में अनियमितता

13. **(*क्र. 525) श्री चन्द्रशेखर देशमुख :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र मुलताई में वर्ष 2010 से 2011 में स्वीकृत की गई मुख्यमंत्री सड़कें कितनी पूर्ण हैं तथा कितनी अपूर्ण हैं ? (ख) क्या सड़कें पूर्ण करने का प्रावधान उन्हीं वर्षों में था ? (ग) क्या सड़कें उन्हीं वर्षों में पूर्ण हो गईं ? नहीं तो उस समय के तत्कालीन अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) नहीं की गई तो क्या कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधानसभा क्षेत्र मुलताई में वर्ष 2010 से 2011 तक 14 सडकें स्वीकृत की गई जिनमें से 06 सडकें पूर्ण तथा 08 सड़कें अपूर्ण है । (ख) सडकों के कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को कार्यादेश होने के एक वर्ष (वर्षाकाल सहित) की समयावधि प्रावधानित थी । (ग) जी नहीं । सड़क कार्य में मिट्टी का कार्य मनरेगा के जाबकार्डधारी श्रमिकों के माध्यम से सम्पन्न कराया जाना था । मनरेगा के जॉबकार्डधारी श्रमिकों की श्रममांग यथा समय न होने से मिट्टी कार्य पूर्ण करने में विलंब हुआ, जिससे ऊपरी सतहों के कार्य प्रारंभ करने में भी विलंब हुआ । तत्कालीन अधिकारी दोषी न होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई । (घ) उत्तरांश (ग) के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अपूर्ण सड़कों को पूर्ण किया जाना

14. **(*क्र. 223) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में देवास जिले में स्वीकृत किन-किन सड़कों का कार्य कब पूर्ण हुआ तथा उनकी गारंटी अवधि कब तक की है ? (ख) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किन-किन सड़कों का कार्य अपूर्ण है तथा अप्रारंभ है तथा क्यों ? सड़कवार कारण बतायें ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा ? (ग) उक्त जिलों में कौन-कौन से पात्र ग्राम है, जहाँ उक्त दोनों योजनाओं में सड़क स्वीकृत नहीं की गई है तथा क्यों कारण बतायें ? ऐसे ग्रामों में कब तक सड़क स्वीकृत की जायेगी ? (घ) उक्त सड़क निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण कार्य तथा प्राक्कलन एवं टी.एस. अनुसार कार्य न करने की कितनी शिकायतें 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक शासन तथा जिला प्रशासन को प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है ।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 3 अनुसार है ।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 एवं 5 अनुसार है ।** (घ) मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनांतर्गत सड़कों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है** एवं प्रश्नकर्ता माननीय विधायक से प्राप्त पत्र दिनांक 11.12.2014 के द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य सम्पन्न होने का उल्लेख करते हुये जांच की अपेक्षा

की है, अतः स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण मानीटर्स का दल बनाकर जाँच आदेशित की है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

ट्रैक्टर ऋण में अनियमितता

15. **(*क्र. 527) श्री बाला बच्चन :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी बैंक सीधी से दिनांक 01.01.2013 से 20.01.2015 तक कितने ट्रैक्टर का ऋण स्वीकृत किया गया ? माहवार बतावें ? ऋण स्वीकृति राशि भी साथ में माहवार बतायें ? (ख) जिनके ट्रैक्टर ऋण स्वीकृत किए गए उनके नाम, पते ऋण की राशि, देवें ? (ग) क्या यह सही है कि जिनके नाम ट्रैक्टर ऋण स्वीकृत किए, उनमें कई लोगों के आवश्यक दस्तावेज नहीं मिल रहे ? शासन इस ऋण की भरपाई के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ? (घ) उपरोक्त फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों एवं इस पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है एवं कब तक इसकी जांच होगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी से दिनांक 01.01.2013 से 20.01.2015 तक माहवार स्वीकृत ट्रैक्टर ऋण एवं स्वीकृत राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है**. (ख) स्वीकृत ट्रैक्टर ऋण के ऋणियों के नाम, पते एवं ऋण राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है**. (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वीकृत ट्रैक्टर ऋणों के दस्तावेजों का परीक्षण बैंक के कर्मचारियों से कराया जा रहा है, परीक्षण उपरांत ही सही स्थिति ज्ञात हो सकेगी, बैंक को एक माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है. ट्रैक्टर ऋण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी द्वारा दिये गये हैं, इन ऋणों में शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है. (घ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी में हुई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.के.एस. चौहान को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा निलंबित किया गया है. कलेक्टर जिला सीधी एवं कलेक्टर सिंगरौली के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से ट्रैक्टर ऋणों का परीक्षण कराया जा रहा है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

अमानक खाद एवं बीज के विक्रय पर कार्यवाही

16. **(*क्र. 320) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 3 वर्षों में जिलेवार अमानक खाद, कीटनाशक दवाई एवं बीज विक्रय के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए ? (ख) यदि हाँ, तो कितने विक्रेताओं और निर्माताओं के विरूद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की ? (ग) अमानक खाद, कीटनाशक दवाई एवं बीज के विक्रय की रोकथाम के लिए सरकार की क्या योजना है ? (घ) अमानक खाद, कीटनाशक दवाई के उपयोग से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु सरकार के द्वारा क्या नियम बनाए गए ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) विभाग द्वारा प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 17 प्रकरणों में पुलिस प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई है एवं शेष 2 प्रकरणों को सीधे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । कार्यवाही मान. न्यायालय के विचाराधीन है । (ग) राज्य शासन द्वारा उर्वरक निरीक्षक, बीज निरीक्षक एवं कीटनाशक निरीक्षक की नियुक्ति की गई है । खरीफ एवं रबी मौसम प्रारंभ होने के पूर्व, एवं समय-समय पर आदानों के गुण नियंत्रण हेतु उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं बीज अधिनियम 1966 व सीड (कंट्रोल) आर्डर 1983 में निहित प्रावधानों के तहत अमानक पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है । (घ) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में अमानक उर्वरक एवं कीटनाशक अधिनियम 1968 में अमानक कीटनाशक दवाई के उपयोग से किसानो को हुऐ नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नही है ।

परिशिष्ट - "छः"

ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों का संविलियन

17. **(*क्र. 211) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की कैथा, सिधौरा, सुसेरा, बेहदपुर, टिगरा, रामपुरा, ओढ़पुरा, सातऊ, मिरावली, मिलावली, तिलधना, जेवरा, कुलेथ, जिगसौली एवं सोजना पंचायतें भितरवार विधान सभा क्षेत्र के बरई ब्लॉक में आती हैं ? (ख) उक्त समस्त पंचायतों की बरई ब्लॉक से कितनी-कितनी दूरी है एवं मुरार ब्लॉक से कितनी दूरी है ? क्या दूरी को देखते हुये जनहित में यह सही नहीं है कि उक्त समस्त पंचायतों को मुरार ब्लॉक में सम्मिलित किया जाये ? (ग) क्या उक्त समस्त पंचायतों को ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के मुरार ब्लॉक में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है ? (घ) क्या विभाग शीघ्र उक्त संबंध में कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ । (ख) उक्त ग्राम पंचायतों की बरई एवं मुरार ब्लॉक से दूरी संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** । ग्राम पंचायतों को मुरार ब्लॉक में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । (ग) जी नहीं । (घ) उत्तरांश ''ख'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "सात"

फसल बीमा क्लेम अंतर्गत प्रदाय राशि

18. **(*क्र. 30) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले की प्राथमिक सहकारी साख संस्था उगली को वर्ष 2007 से 2014 तक फसल बीमा क्लेम एवं शासन द्वारा प्रदत्त राहत राशि वर्षवार कितनी-कितनी प्रदान की गई ?

(ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोसायटी में वर्ष 2007 से 2014 तक कितने सदस्य संस्था में कालातीत हैं एवं इसी संस्था के कितने सदस्य जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीधे प्रदाय ऋण में कालातीत (डिफाल्टर) हैं और कितनी-कितनी राशि कितने वर्षों से बकाया है ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोसायटी के संचालक मंडल में कौन-कौन पदाधिकारी एवं संचालक सदस्य वर्तमान में है और कब से है ? (घ) क्या सहकारिता अधिनियम के तहत डिफाल्टर सदस्य संचालक मंडल में रहने योग्य हैं ? यदि नहीं, तो अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है**. (ख) वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है**. प्राथमिक सहकारी साख संस्था मर्यादित, उगली के अध्यक्ष श्री आत्माराम मीणा द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर की शुजालपुर मंडी शाखा से आवास ऋण लिया गया था. श्री आत्माराम इस ऋण के प्रति दिनांक 30.01.2004 से दिनांक 31.01.2015 तक की अवधि में 12 माह से अधिक के डिफाल्टर रहे हैं. इनके द्वारा कालातीत बकाया राशि रूपए 2,32,222/- दिनांक 31.01.2015 को जमा की गई. (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है**. (घ) मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 50-ए के प्रावधान अनुसार 12 माह से अधिक अवधि का कालातीत सदस्य सहकारी समिति के संचालक के पद पर रहने योग्य नहीं है. श्री आत्माराम मीणा के विरूद्ध मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 50-ए के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश उप पंजीयक सहकारी समितियां, शाजापुर को दिए गए है.

<u>परिशिष्ट - "आठ"</u>

<u>जनपद पंचायतों में पदस्थ स्थानीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण</u>

19. **(*क्र. 292) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के किन-किन जनपद पंचायतों में स्थानीय कर्मचारी पदस्थ हैं ? (ख) स्थानीय (लोकल) कर्मचारियों को एक जनपद से दूसरे जनपद क्षेत्र में कब तक स्थानांतरित कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सतना जिले की नागौद, सोहावल, मझगवा, रामपुर बाघेलान, उचेहरा, अमरपाटन, मैहर, रामनगर जनपद पंचायतों में स्थानीय कर्मचारी पदस्थ है । (ख) स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण किये जाते है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

<u>शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विरूद्ध शिकायतें</u>

20. **(*क्र. 357) डॉ. मोहन यादव :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कितनी राशन की दुकानें संचालित है ? उन दुकानों में कितने बी.पी.एल. धारी एवं कितने ए.पी.एल. धारी एवं अन्य कितने हितग्राही है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में

विभिन्न कन्ट्रोल दुकानों पर किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी शिकायत हितग्राहियों द्वारा की गई एवं उक्त संबंध में किस सक्षम अधिकारी द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई, जानकारी प्रदान करें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर किन कन्ट्रोल संचालकों के खिलाफ अनियमितता के संबंध में कार्यवाही की गई एवं जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गई, क्या वर्तमान में भी उक्त संचालकों द्वारा कन्ट्रोल संचालित किये जा रहे हैं, यदि हाँ, तो किस नियम के तहत जानकारी प्रदान करें ? (घ) दिनाँक 01.01.2013 से प्रश्न दिनाँक तक उज्जैन जिले में कन्ट्रोल को कितना-कितना राशन दिया गया ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) उज्जैन जिले में वर्तमान में 597 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित है । इन दुकानों में 27,616 अन्त्योदय परिवार एवं 2,47,607 प्राथमिकता परिवार (जिनमें 1,87,668 बीपीएल परिवार सम्मिलित हैं) के कार्डधारी संलग्न हैं । (ख) उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही की विगत एक वर्ष की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी उत्तरांश (ख) के संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । अनियमितता पाई जाने पर विक्रेता को हटाना नियमों के तहत बंधनकारी नहीं है । अनियमितता की गंभीरता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय लिया जाता है । (घ) प्रश्नांकित अवधि में दुकानों को गेहूं 134441.82 मै.टन, चावल 20046.68 मै.टन, शक्कर 7248.23 मै.टन तथा नमक 3969.17 मै. टन आवंटित किया गया ।

परिशिष्ट - "नौ"

कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना

21. **(*क्र. 201) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिले के अंतर्गत बैढ़न में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने हेतु 50 एकड़ भूमि उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो यह केन्द्र स्थापित करने हेतु शासन की योजना, बजट एवं निर्माण करने की क्या योजना है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना/संचालन का कार्य कब तक में आरंभ किया जायेगा ? समय-सीमा बतायें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ । कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा स्थापना हेतु ग्राम देवरा तहसील सिंगरौली जिले की 50 एकड़ भूमि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को हस्तांतरित की जा चुकी है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा गठित स्थल चयन समिति की अनुशंसा अपेक्षित है । इसके उपरांत कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की स्थिति

22. **(*क्र. 245) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत पांच वर्ष में किस-किस वर्ष में कौन-कौन सी

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का निर्माण पूर्ण किया गया ? इनकी वर्तमान स्थिति बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित किस-किस सड़क पर संधारण/मरम्मत हेतु एजेन्सी को कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया ? इन कार्यों की देख रेख व निरीक्षण विभाग के किन-किन अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा किया गया ? (ग) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत मैहर विधानसभा क्षेत्र की कौन-कौन सी सड़के प्रस्तावित हैं और उनके निर्माण का प्राथमिकता क्रम क्या है ? (घ) पूर्व में निर्मित सड़कों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति व घटिया संधारण कार्य की जांच कराकर क्या पुन: संधारण कराया जाएगा ? नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है** । (घ) पूर्व निर्मित सड़कों में से तीन सड़कें क्रमशः मैहर धनवाही रोड से पिपरा बरबन्ड, मदनपुर कैमोर रोड से अजमाइन एवं अजमाइन रोड से टीकरकला मार्ग भारी वाहनों के यातायात से प्रभावित है । उक्त मार्ग वर्तमान में गारंटी अवधि में है । गारंटी अवधि पश्चात उक्त मार्गों को उन्नत करने अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी । शेष सभी मार्गों से सुगम यातायात हो रहा है तथा संधारण की स्थिति संतोषप्रद है । कार्यों की गुणवत्ता एवं मार्गों के संधारण की जांच स्टेट क्वालिटी मॉनिटर द्वारा नियमित रूप से कराई जा रही है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

लक्ष्य एवं उपलब्धियों का लेखा जोखा

23. **(*क्र. 486) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभागीय मंत्री महोदय द्वारा माह दिसम्बर 2014 में विभाग से संबंधित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का एक साल का लेखा-जोखा पेश किया गया था ? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त लेखा-जोखा में क्या-क्या लक्ष्य एवं उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया गया, बताएं ? (ग) क्या उक्त रिपोर्ट कार्ड में माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध कराने तथा चम्बल संभाग की बीहड़ों की बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने एवं वृक्षारोपण हेतु योजना का उल्लेख किया था ? (घ) यदि हाँ, तो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की दिनांक के बाद से प्रश्न दिनांक तक किसानों द्वारा खाद के लिए आंदोलन/प्रदर्शन, चक्काजाम आदि किए गए ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि राज्य सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराने में असफल रही है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) जी हाँ । (घ) उपलब्धता के अनुसार किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराये गये, किसानों द्वारा आंदोलन/प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

मंडी/उपमंडी में घटिया निर्माण की जांच

24. **(*क्र. 491) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में कुल कितनी कृषि उपज मंडी/उपमंडी है ? जानकारी

विधानसभा क्षेत्रवार, विकासखंड वार एवं स्थानवार देंवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित मंडियों में एवं उपमंडियों में कितने-कितने वेयर हाउस है तथा ऐसी कितनी मंडी/उपमंडी हैं, जहां अभी वेयर हाउस नहीं है ? जानकारी स्थानवार देंवे ? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत जैसीनगर, सीहोरा, बिलहरा एवं बेरखेडी की मंडी/उपमंडी में वेयर हाउस एवं अन्य निर्माण कार्य में घटिया निर्माण की जांच बावत् विभाग को पत्र लिखा था ? (घ) यदि हाँ, तो मंडियों/उपमंडियों में चल रहे निर्माण कार्यों की जांच कब तक की जावेगी तथा घटिया निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावेगा अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) सागर जिलें में कुल 12 कृषि उपज मंडी एवं 06 उपमंडियां है । विधान सभा क्षेत्रवार विकासखंडवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है** । **(ख)** उत्तरांश (क) में वर्णित मंडियों में निर्मित वेयर हाउस की संख्या मंडी/उपमंडीवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है** । कृषि उपज मंडी समिति बामोरा तथा उपमंडी कर्रापुरा, मालथौन एवं बांदरी में वेयर हाउस नहीं है । **(ग)** जी नही । अपितु प्रश्नकर्ता के द्वारा मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल को पत्र लिखा गया था, जिसकी पृष्ठांकित प्रति कलेक्टर, कार्यालय सागर से म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर को प्राप्त हुई थी, चूंकि प्राप्त प्रकरण वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन से संबंधित होने के कारण उपरोक्त पत्र को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2676 दिनांक 29.01.15 से मूलत: आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया । **(घ)** प्राप्त शिकायत में निर्माण कार्यो की जांच म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल द्वारा कराई गयी है, जिसके अनुसार कार्य निर्धारित मानक स्तर एवं गुणवत्ता के अनुसार कराया जाना पाया गया है । अत: शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>परिशिष्ट - "दस"</u>

<u>दोषी अधिकारी के विरूद्ध लंबित कार्यवाही</u>

25. **(*क्र. 311) श्री संजय पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 10.12.2014 में मुद्रित परि. अता. प्रश्न क्रमांक 308 के प्रश्नांश (क) का उत्तर जी नहीं स्वीकृत घटकों में व्यय की अनुमति दी गई थी तथा प्रश्नांश (ख) (ग) का उत्तर जी हाँ मुद्रित है व यह भी स्वीकार किया गया है, कम मात्रा प्रदान हुई है ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो क्या संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अपने पत्र दिनाँक 22.11.2014 द्वारा समिति गठित कर जाँच हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या गठित समिति द्वारा उपसंचालक कृषि एवं विकासखण्ड अधिकारियों से अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु दल द्वारा मॉग की गई ? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) हाँ तो संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई अथवा संबंधित उपसंचालक एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने से मना किया, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दी गई ? (घ) यदि प्रश्नांश

(ग) हाँ तो क्या संबंधित अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग कर अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई ? (ड.) प्रश्नांश (क) के संबंध में जब आरोप सिद्ध हो गये तो उन्हें हटाकर निष्पक्ष जाँच क्यों नहीं कराई जा रही है ? क्या संबंधित को हटाकर जाँच कराई जायेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) एवं (ख) जी हाँ । (ग) जी हाँ अभिलेख उपलब्ध कराये जाने से मना किया गया जांच अधिकारी का पत्र की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (घ) जी हाँ, संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव दिनांक 11.02.15 को प्राप्त हुआ । परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी । (ड.) जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

नागदा को विकासखण्ड का दर्जा दिया जाना

1. **(क्र. 8) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नागदा को विकास खण्ड का दर्जा देने हेतु शासन द्वारा क्या औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई हैं ? शासन द्वारा नागदा को कब तक विकासखण्ड का दर्जा प्रदान किया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

स्लीपर ए.सी. बसों में किराया निर्धारण

2. **(क्र. 22) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर, उज्जैन संभाग में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कितनी स्लीपर ए.सी. बसों के परमिट किन-किन समय पर कहां-कहां, किन-किन स्थानों के लिए दिए गए हैं ? प्रदेश के बाहर परमिट दिए जाने की नीति क्या है ? (ख) स्लीपर ए.सी. बसों के किराए निर्धारण के लिए कौन-कौन सी समितियां हैं, इन्होंने कब-कब बैठक आयोजित कर स्लीपर बसों के किराए हेतु निर्देश जारी किए ? (ग) क्या यह सही है कि बसों के किराए का मुख्य अंश डीजल के भाव तय करते है ? यदि हां तो गत छः माह में डीजल के भाव कम होने के बावजूद किराया कम करने हेतु विभाग द्वारा बस ऑपरेटर को कब-कब निर्देशित किया गया तथा इस संबंध में कब-कब बैठक आयोजित की गई ? (घ) क्या यह सही है कि इन्दौर, उज्जैन संभाग में मंहगे किराये के बावजूद बसों में उस अनुपात में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है एवं ज्यादातर बसें खटारा होने के बावजूद लम्बी दूरियों का सफर तय कर रही हैं जिसके फिटनेस की जांच विभाग द्वारा भी नहीं की जा रही है ? (ड़) यदि नहीं तो प्रश्नांश (क) अवधि में कब-कब किस-किस सक्षम अधिकारी ने इन्दौर, उज्जैन संभाग में इन बसों की सुविधाओं हेतु जॉच कर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) इन्दौर, संभाग में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक 26 ए.सी. वाहनों को विभिन्न मार्गो के स्थाई एवं अस्थाई अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये है, प्रश्नांश में वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"क"** अनुसार है । उज्जैन, संभाग में उक्त अवधि में 115 स्लीपर ए.सी. वाहनों को विभिन्न मार्गो के स्थाई एवं अस्थाई अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये है, प्रश्नांश में वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ख" अनुसार** है । प्रदेश के बाहर परमिट जारी किये जाने के प्रावधान मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 में उल्लेखित है । राज्य परिवहन प्राधिकार म.प्र. द्वारा परमिट हेतु नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने पर प्रदेश के बाहर के परमिट स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। (ख) स्लीपर ए.सी. बसों के किराये के निर्धारण के लिये पृथक से कोई समिति गठित नहीं है । मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 142/2004/आठ दिनांक 09.09.2010 द्वारा यात्री बस सेवा के किराया निर्धारण हेतु राज्य शासन द्वारा स्थायी समिति गठित है । किराया निर्धारण समिति की बैठकें दिनांक 25.06.2012, दिनांक 03.10.2012,

दिनांक 06.07.2013, दिनांक 22.07.2014 एवं दिनांक 10.02.2015 को आयोजित हुई है । बसों के किराया निर्धारण हेतु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्र. एफ 22-142/2004/ आठ दिनांक 30.07.2012, दिनांक 23.10.2012, दिनांक 03.08.2013 एवं दिनांक 25.08.2014 द्वारा किराया निर्धारण संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं । (ग) यह सही नही है कि बसों के किराये का मुख्य अंश डीजल के भाव तय करते है बल्कि किराया निर्धारण के लिये अन्य कारक घटक जैसे मोटरयान कर, वाहनों की कीमत, टायर-टयूब, पुर्जों, तथा कर्मचारियों के वेतन-भत्तो का भी असर होता है। विगत छः माह में किराया निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 10.02.2015 को आयोजित हुई है । अंतिम निर्णय विचाराधीन है । (घ) जी नहीं, इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र कम्प्यूटर से प्रति वर्ष जारी किये जाते है । वाहन को लंबी दूरी के परमिट, वैध दस्तावेज होने पर ही जारी किये जाते है । परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा चैकिंग की कार्यवाही की जाती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । (ड़) इन्दौर एवं उज्जैन में जांच दल द्वारा नियमों का पालन न करने वाली वाहनो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये क्रमशः रूपये 2,14,27,757 एवं 1,76,800 का राजस्व समझौता शुल्क एवं कर के रूप में वसूल किया गया है। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -ग, घ अनुसार** है ।

<u>नि:शक्तजनों को उपकरण देने में अनियमितता</u>

3. **(क्र. 23) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में नि:शक्तजनों के कितने आवेदन विभाग के पास लम्बित है, जिसमें उन्होंने विभिन्न उपकरणों हेतु आवेदन किया है ? सूची उपलब्ध करावें ? (ख) विकलांग नि:शक्त व्यक्तियों को श्रवण यंत्र ट्रायसायकल आदि उपकरण उपलब्ध कराने हेतु मंदसौर जिले में किन-किन एन.जी.ओ. एवं अशासकीय सामाजिक संस्थान को कब-कब कितनी-कितनी राशि या उपकरण दिए गए ? 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनॉक तक जानकारी उपलब्ध कराएं ? (ग) क्या यह सही है कि समितियों द्वारा अधिकारियों से मिली भगत कर सिर्फ औपचारिकता कर उक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और भारी मात्रा में भ्रष्टाचार कर नि:शक्तजनों की राशि को हड़पा जा रहा है ? यदि हॉ तो इस संबंध में कितनी-कितनी शिकायतें कहॉ-कहॉ पर प्राप्त हुई ? (घ) उज्जैन संभाग में विभाग के पास कितने विकलांग व्यक्ति रजिस्टर्ड हैं, इनके रोजगार हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजना संचालित है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला मंदसौर के अंतर्गत जिले में निःशक्तजनों को विभिन्न उपकरण प्रदाय करने हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है । (ख) जिले में प्रश्नाधीन अवधि में निःशक्त व्यक्तियों को श्रवण यंत्र, ट्रायसायकल आदि उपकरण उपलब्ध कराने हेतु किसी एन.जी.ओ. एवं अशासकीय सामाजिक संस्था को कोई राशि या उपकरण नहीं दिये गये । (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उज्जैन संभाग में स्पर्श सर्वे अनुसार 99857 विकलांग व्यक्ति रजिस्टर्ड है । शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

<u>परिशिष्ट - "बारह"</u>

पंचायत में सम्मिलित गॉवों तक सड़क सुविधा

4. **(क्र. 31) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिनके अन्तर्गत एक से अधिक गॉव हैं ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के मुख्यालय से ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों तक सड़क सुविधा उपलब्ध है ? (ग) काला पीपल विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के मुख्यालय तक पहुंचने हेतु पंचायत में सम्मिलित अन्य गांवों को कब तक सड़क से जोड़ दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधानसभा कालापीपल क्षेत्रांतर्गत ऐसी 55 ग्राम पंचायतें जिनमें एक से अधिक गांव है । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ग) ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत ग्रामों को बाहरमासी मार्गो से सिंगल कनेक्टीविटी दिये जाने की योजना स्वीकृत है। सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क योजनांतर्गत एक से अधिक सड़क संपर्क ग्रेवल रोड के माध्यम से पूर्ण कराये जाने की योजना मनरेगा अभिसरण से स्वीकृत है । कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को मुख्यालय से गांवों(को जोड़े जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । क्योकि ग्रामों को ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ने की वर्तमान में कोई योजना ग्रामीण विकास विभाग में स्वीकृत नहीं है ।

उपमण्डी प्रारंभ करने की कार्यवाही

5. **(क्र. 42) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सुखेड़ा, तह. पिपलौदा, जिला रतलाम कृषि उपज उपमण्डी को प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ? (ख) यदि हॉ, तो क्या इस हेतु ग्राम सुखेडा में मण्डी हेतु भूमि का चयन किया जाकर कार्यवाही चल रही है? (ग) यदि हॉ, तो भूमि अधिग्रहण/हस्तांतरण की कार्यवाही कितनी पूर्ण होकर कहॉ पर, कब से लम्बित हैं ? (घ) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूर्ण होकर उपमण्डी कब तक प्रारंभ हो जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । ग्राम सुखेड़ा, तहसील पिपलोदा जिला रतलाम में कृषि उपज उपमंडी हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही वर्तमान में कलेक्टर जिला रतलाम के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है । (ख) जी हॉ । ग्राम सुखेड़ा में मंडी हेतु भूमि का चयन किया जाकर कार्यवाही चल रही है । (ग) भूमि आवंटन, नामान्तरण एवं हस्तांतरण की कार्यवाही पत्र क्रमांक 493 दिनांक 17.09.2014 से कलेक्टर जिला रतलाम के कार्यालय में प्रचलित है । प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा मंडी समिति जावरा को कलेक्टर जिला रतलाम से नियमानुसार शासन से अधिसूचना जारी कराने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन से अधिसूचना जारी कराने की कार्यवाही संभव होगी । (घ) उत्तरांश "ग" की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी । समय-सीमा बताया जाना संभव नही है ।

उपमण्डियों में कृषि उपज का क्रय विक्रय

6. **(क्र. 43) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलौदा, कालुखेड़ा, ठोठर एवं रिंगनोद में कृषकों की सुविधा हेतु उक्त उपमण्डियॉ कार्यरत है ? (ख) यदि हॉ तो उक्त उपमण्डियों के क्रय विक्रय एवं कार्य व्यवस्था हेतु किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य सौंप रखा है ? (ग) उपरोक्त उपमण्डियों के अंतर्गत कितने गॉव संलग्न होकर, कितने कृषकों की कितनी, कौन-कौन सी उपज आती है ? (घ) उपरोक्त मण्डियों के अंतर्गत कितने व्यापारी पंजीकृत/लायसेंसी होकर व्यवसाय कर रहे हैं ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जावरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति जावरा के अंतर्गत ग्राम पिपलौदा, कालूखेडा में उपमंडियॉ क्रियाशील है । ग्राम ढोढर एवं रिंगनोंद में उपमंडी कार्यरत नहीं है । (ख) उपमण्डियों में क्रय-विक्रय एवं कार्य व्यवस्था हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य सौंप रखा है । 1 पिपलौदा:- पुरूषोत्तम भावसार स.उ.नि. प्रभारी 2 कालूखेड़ा :- (1) पुरूषोत्तम भावसार स.उ.नि. प्रभारी (2) अर्जुन कंडारे भृत्य/चौकीदार (ग) कृषि उपज मंडी समिति जावरा के अंतर्गत स्थित उपमंडी पिपलौदा एवं कालूखेड़ा में मुख्य रूप से कृषि उपज गेंहू, सोयाबीन, चना लहसन आदि विक्रय हेतु आती है । शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है । (घ) उत्तरांश "ग" उल्लेखित उपमंडियों के अंतर्गत 35 पंजीकृत/लायसेंसी व्यापारी है, जो व्यवसाय कर रहे है ।

परिशिष्ट - "तेरह"

मर्यादा अभियान अंतर्गत खर्च की गई राशि

7. **(क्र. 57) श्री मुकेश नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मर्यादा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तथा वित्तीय वर्ष अप्रैल 2013 से अप्रैल 2014 के बीच पन्ना जिले में कितनी राशि खर्च की गयी और किन-किन मदों में खर्च की गयी ? उपरोक्त खर्च की गयी राशि की ब्लॉकवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) उपरोक्त राशि में से प्रचार और प्रसार के लिए किन-किन मदों में कितनी राशि खर्च की गयी ? इससे जो पाठ्य अथवा प्रचार सामग्री प्रकाशित करायी गयी उसकी संख्या कितनी थी और उसका वितरण ब्लॉकवार कितनी संख्या में किया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है ।

मंडी समिति में गोदाम निर्माण हेतु भूखण्ड

8. **(क्र. 105) श्री अरूण भीमावद :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. की कृषि उपज मंडी समितियों में व्यापारियों को गोदाम निर्माण के लिए भूखण्ड आवंटन किये जाने का कोई प्रावधान हैं ? (ख) क्या भूखण्ड की कीमत कलेक्टर

द्वारा निर्धारित रजिस्ट्री की गाईड लाईन अनुसार है ? (ग) क्या इस नियम में कोई संशोधन किया जा रहा हैं, जिसके आधार पर गाईड लाईन से कम दर भूखण्ड का आवंटन किया जा सकता है ? (घ) यदि इस संबंध में कोई संशोधन किया जा रहा है तो कब तक नियमों में संशोधन प्रस्तावित है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) से (ग) जी हॉ । (घ) समय-सीमा बतायी जाना संभव नही है ।

सिंगरौली में उप संचालक, सामाजिक न्याय की पदस्थापना

9. **(क्र. 202) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नया जिला निर्मित होने के दिनांक से ही जिला सिंगरौली में उप संचालक सामाजिक न्याय की पदस्थापना अभी तक नहीं हुई है ? (ख) यदि हां, तो यह पद स्वीकृत कर कब तक में पदस्थापना की जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) नवगठित जिला सिंगरोली के निर्मित होने पर उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, जिला सिंगरौली के स्वीकृत पद का प्रभार अतिरिक्त रूप से उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, जिला सीधी को सौपा गया है । (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परफोरमेंस ग्रांट मद एव स्टाम्प शुल्क की आवंटित राशि

10. **(क्र. 215) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परफोरमेंस ग्राण्ट मद एवं स्टाम्प शुल्क की राशि वर्ष 2013-14 में किस-किस जिला पंचायत को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ? जिलेवार बतायें ? (ख) परफोरमेंस ग्राण्ट मद एवं स्टाम्प शुल्क की राशि का जिलेवार आवंटन करने के क्या-क्या नार्म्स है ? किस-किस आधार पर जिलों को ब्लॉक की संख्या के आधार, जिले के क्षेत्रफल के आधार पर या जिले की पंचायतों के आधार पर राशि अलग-अलग जिलों को आवंटित की जाती है ? (ग) इस मद में कौन-कौन से कार्य कराये जा सकते है ? क्या दोनों मदों से कार्यो की स्वीकृति जिला पंचायत या जनपद पंचायत एवं शासन से स्वीकृति प्रदान की जाती है ? कार्य स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर क्या शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** । (ख) परफॉरमेंस ग्रान्ट अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में कुल प्राप्त राशि कुल-313 जनपद पंचायतों के मान से तथा विशेष क्षेत्र में कुल प्राप्त राशि, 20 जिलों की 90 जनपद पंचायतों के मान से कुल 5221 ग्राम पंचायतों में निम्न आधार पर जिला पंचायतों को जारी की गई है । (1जनसंख्या के आधार पर 70 प्रतिशत । 2 क्षेत्रफल के आधार पर 25 प्रतिशत । 3 स्वकराधान के लिये निर्धारित 05 प्रतिशत ।) स्टाम्प शुल्क मद से जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों के वेतन-भत्तों हेतु जनपद पंचायतों को आवंटन प्रदाय किया जाता है तथा विकास कार्यो हेतु जिलों

से भवनविहीन पंचायत भवन एवं ई-पंचायत कक्षो हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जिला पंचायतों को राशि आवंटित की गई है । (ग) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार**। दोनो मदो से कार्यो की स्वीकृति जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में अनुमोदन के पश्चात जिला/जनपद पंचायतों द्वारा स्वीकृत किये जाते है एवं जनप्रतिनिधियों से जनसामान्य विकास कार्यो हेतु प्राप्त आवेदनो को संबंधित जिला/जनपद पंचायतों को प्रेषित किया जाता है । उपलब्ध राशि के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है ।

बीमा एवं मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा के लंबित प्रकरण

11. **(क्र. 224) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 जनवरी 2015 की स्थिति में देवास जिले में जन श्री बीमा, आम आदमी बीमा, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कितने प्रकरण कब से लंबित है योजनावार संख्या बतायें ? (ख) उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास कार्यवाही की ? उक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा ? अनुबंध अनुसार कितने दिनों में प्रकरणों का निराकरण होना चाहिए ? (ग) बीमा कम्पनी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें इस हेतु विभाग तथा शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की ? तथा इस हेतु जिले के विधायकों के पत्र विभाग तथा जिला प्रशासन को विगत 2 वर्षों में कब-कब प्राप्त हुए तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत मापदण्ड तथा शर्ते विभाग ने क्या-क्या निर्धारित की है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत कोई प्रकरण लंबित नही है । (ख) लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु समय-समय पर विभाग के अधिकरियों द्वारा आवश्यक पत्राचार/शिविर एवं कार्यशाला आयोजित की जाती है । उत्तरांश-''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । नियमानुसार भुगतान किया जाता है यह एक सतत् प्रक्रिया है । (ग) शासन द्वारा समय समय पर विभाग के अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हेतु बीमा कंपनी एवं जिला अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये जाते है । इस संबंध में माननीय विधायकों के कोई पत्र सामाजिक न्याय विभाग जिला देवास को प्राप्त नहीं हुए है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है ।

राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन योजना अंतर्गत कार्य

12. **(क्र. 241) श्री वीरसिंह पंवार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी जलग्रहण मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से जन. 2015 तक की अवधि में विदिशा जिले में क्या-क्या कार्य कहॉ-कहॉ करवाये गये पूर्ण विवरण दें ? (ख) उक्त स्वीकृत कार्यो में से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा आप्रारंभ है तथा क्यों कार्यवार कारण बतायें ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगें समयावधि बतायें ? (ग) उक्त अवधि में उक्त कार्यो का निरीक्षण कब-कब किस-किस अधिकारी ने किया ? तथा क्या-क्या अनियमितताये पाई ? (घ) उक्त कार्यो में अनियमितता करने वालों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एवं (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** अनुसार है । (ग) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** अनुसार है । (घ) आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना क्र. 2 में परियोजना के टीम लीडर के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में हैं ।

बी.आर.जी. एफ. योजना का संचालन

13. **(क्र. 242) श्री वीरसिंह पंवार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में किन-किन जिलों में बी.आर.जी.एफ. योजना संचालित है उक्त योजना में जिलों के चयन हेतु क्या-क्या मापदण्ड शर्ते है ? (ख) उक्त योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य कराये जा सकते है ? (ग) बी.आर.जी.एफ. योजना में शेष जिलों का चयन कब तक एवं किस आधार पर किया जायेगा पूर्ण विवरण दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" के प्रपत्र 1 एवं 2** अनुसार । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** अनुसार । (ग) बीआरजीएफ योजनांतर्गत जिला अथवा किसी क्षेत्र विशेष को शामिल किये जाने का निर्णय भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार किया जाता है ।

अधिकारियों पर प्रचलित जॉच

14. **(क्र. 246) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग में सहकारिता विभाग के ऐसे कौन-कौन से अधिकारी-कर्मचारी हैं जिन पर नियम विरूद्ध कार्य करने, गबन, भ्रष्टाचार व कदाचार आदि के मामलों में किसी भी स्तर पर विभागीय जॉच वर्तमान में प्रचलित है ? प्रकरण का विवरण व जॉच अधिकारी का नाम बतावें व यह भी बतावें की जॉच संस्थित कब की गई और जॉच पूर्ण किये जाने की अवधि क्या थी ? (ख) ऐसे आरोपी अधिकारी वर्तमान में कहॉ पदस्थ हैं ? जॉच में अनावश्यक विलम्ब के क्या-क्या कारण हैं ? (ग) रीवा संभाग के सहकारी बैंकों के जिला महाप्रबंधकों के विरूद्ध विगत दो वर्षों में अनियमितताओं संबंधी शासन/विभाग को प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है. (ख) अधिकारियों की पदस्थी एवं जांच में विलंब के कारणों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है. (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.के.एस. चौहान के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर श्री चौहान को दिनांक 20.12.2014 से निलंबित किया जाकर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सतना के महाप्रबंधक श्री ए.बी. शुक्ला के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है, कार्यवाही जांच निष्कर्षाधीन है ।

परिशिष्ट - "चौदह"

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत प्राप्त राशि व कार्य

15. **(क्र. 250) श्री हर्ष यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वित्तीय वर्षों में सागर संभाग के जिलों को जिलावार कितनी-कितनी राशि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त हुई हैं ? (ख) विभाग द्वारा गत दो वर्षों में बुन्देलखण्ड पैकेज की राशि से कहॉ-कहॉ, क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी लागत से सम्पन्न करायें हैं ? पूर्ण-अपूर्ण कार्यों का विवरण देते हुए बतावें कि इनकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन है ? (ग) इन कार्यों का निरीक्षण/मूल्यांकन/भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया है अथवा किया जा रहा है ? इन कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है ? (घ) विगत दो वर्षों में सागर संभाग में उक्त पैकेज अंतर्गत हुए कार्यों में हुई अनियमितताओं की कौन-कौन सी शिकायतें मा. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभाग प्रमुख स्तर तक की गई हैं ? अब तक इन पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विगत दो वर्षों में सागर संभाग के जिलों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है ।

निर्माण कार्यों में अनियमितता

16. **(क्र. 261) श्री मधु भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के विकासखंड परसवाड़ा में वर्ष 1 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितने-कितने राशि के किस-किस मद से करवाये गये ? नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकासखंडवार एवं वर्षवार पूरा ब्यौंरा दें ? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार प्रचलित कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण है, कितने कार्य अपूर्ण है एवं उक्त कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? वर्षवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ग) प्रश्नांक (क) में वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य है, जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया है, कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें एवं संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक होगी यह भी बतावें? (घ) प्रश्नांक (क) के अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतों विकासखण्ड, जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर प्राप्त हुई ? शिकायतों का विवरण देते हुए जांच किसके द्वारा कराई गई एवं क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** । बिना कार्य प्रारंभ किये भुगतान किये जाने के संबंध में ग्राम पंचायत मझगवां के सचिव को निलंबित किया जा चुका है, एवं सरपंच एवं

सचिव के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बैहर के यहां वसूली हेतु प्रकरण म.प्र.पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधान अनुसार विचाराधीन है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** ।

<u>ए.पी.एल. कार्डधारकों को खाद्यान्न का प्रदाय</u>

17. **(क्र. 293) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे तथा अतिगरीबी के राशन कार्ड धारियों को मिट्टी का तेल, शक्कर आदि कई सामग्री कम दरों पर उपलब्ध कराई जाती है जबकि सामान्य राशन कार्ड (ए.पी.एल.) धारकों को मिट्टी का तेल तक नहीं दिया जाता है क्यो ? (ख) बाजार में उपलब्ध न होने के बावजूद भी शासन द्वारा (ए.पी.एल.) कार्ड धारकों को मिट्टी का तेल उपलब्ध न कराना क्या यह आम जनता के साथ अन्याय नही है क्या (ए.पी.एल.) सामान्य राशन कार्ड धारकों को भी मिट्टी का तेल एवं शक्कर प्रदान करायी जायेगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) राज्य शासन द्वारा उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से चिन्हित अंत्योदय परिवार एवं प्राथमिकता परिवार को खाद्यान्न मिट्टी का तेल एवं शक्कर उपलब्ध कराया जाता है । गैर प्राथमिकता परिवार के सदस्यों को बाजार दर पर मिट्टी तेल उपलब्ध कराने की व्यवस्था पायलट रूप में प्रदेश के छः जिलों में प्रारंभ की गई है । (ख) प्रदेश के छः जिलों में प्रारंभ पायलट रूप में मिट्टी का तेल प्रदाय व्यवस्था प्रारंभ की गई है, इसमें उपभोक्ताओं की मांग की स्थिति को देखते हुये शेष जिलों में इसका विस्तार किया जायेगा। शक्कर की खुले बाजार में सुलभ उपलब्धता को देखते हुए गैर-प्राथमिकता परिवारों को शक्कर वितरण की कोई योजना नहीं है ।

<u>शा.उ.मू. की दुकानें आवंटित/संलग्न किया जाना</u>

18. **(क्र. 299) श्री विश्वास सारंग :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं रायसेन जिले में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन संस्थाओं को उनके कार्य क्षेत्र के बाहर की शा.उ.मु. की दुकानों को आवंटित/संलग्न किया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत इस प्रकार के आवंटन/संलग्न किस पदनाम/नाम के अधिकारी के निर्देश पर किया गया ? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत क्या इस प्रकार के नियम विरूद्ध आवंटन/संलग्न को निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? (घ) प्रश्नांश (क) के तहत आवंटन/संलग्न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) भोपाल जिले में निरंक एवं रायसेन जिले में 4 संस्थाओं को वर्तमान में उनके कार्य क्षेत्र से बाहर की उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया गया है । उसी प्रकार वर्तमान में भोपाल जिले में निरंक और रायसेन जिले में 10 संस्थाओं को उनके कार्यक्षेत्र से बाहर दुकानें संलग्न की गई है । संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर में उल्लेखित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के

संलग्नीकरण करने वाले अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । (ग) जी हां । कार्य क्षेत्र से बाहर की उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं की दुकानें नवीन नियंत्रण आदेश के लागू होने पर नियमानुसार कार्यक्षेत्र की संस्थाओं को आवंटित की जाएगी । (घ) भोपाल में पूर्व में अनियमितता के कारण 15 उचित मूल्य दुकानें निलम्बित कर समीप की सक्षम संस्थाओं से संलग्न की गई थी, जिनका संलग्नीकरण वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है । रायसेन जिले में 7 संस्थाओं पर अनियमितता के कारण दुकान निलम्बित/निरस्त करने, 3 संस्थाओं द्वारा दुकान संचालन करने में असमर्थता व्यक्त करने तथा 4 संस्थाओं को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उचित मूल्य दुकान कार्य क्षेत्र से बाहर संचालित कराये जाने के कारण कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किया जाना

19. **(क्र. 312) श्री संजय पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 91) दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के उत्तर (घ) के अंतर्गत विभाग द्वारा जो उत्तर दिया गया है उस के विपरीत 2012-13 से 2014-15 तक स्वीकृत किये गये कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किये जा सके हैं ? प्रश्नाधीन प्रश्न में उल्लेखित अवधि में विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की सूची राशिवार, ग्रामवार, कार्यवार उपलब्ध करावें ? (ख) ता. प्रश्न के हां के उत्तर में यह कहा जाना की मूल्यांकन के आधार पर राशि का भुगतान संबंधित को किया जाना है कहां तक सही है ? उक्त भ्रामक जानकारी हेतु दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ अंतर्गत जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ एवं बड़वारा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक कुल स्वीकृत 3356 कार्यो में से 1884 कार्य पूर्ण, 939 कार्य अपूर्ण एवं 533 कार्य प्रारंभ नहीं किये जा सके है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) जो कार्य अपूर्ण है वह प्रगतिरत है, प्रगतिरत कार्यो को समय-समय पर मूल्यांकन के आधार पर नियमानुसार राशि का भुगतान किया जाता है । इसी प्रकार अप्रारंभ कार्य प्रारंभ होने पर ही मूल्यांकन के आधार पर ही नियमानुसार राशि का भुगतान होगा तथा जब तक उक्त कार्य निरस्त नहीं कर दिये जाते तब तक उपरोक्त के लिये प्राप्त राशि का अन्यंत्र उपयोग संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

लोकायुक्त द्वारा की गई कार्यवाही

20. **(क्र. 321) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 3 वर्षों में कितनी पंचायतों के सरपंच एवं सचिव के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा जॉच की गई ? जानकारी भोपाल संभाग एवं चंबल संभाग की देवें ? (ख) अगर हां, तो जॉच उपरांत कितने सरपंच एवं पंचायत सचिव दोषी पाए गए ? (ग) दोषियों के खिलाफ सरकार ने क्या कानूनी कार्यवाही की ? जिलेवार जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ । **जानकारी पुस्तकालय में रख परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** । (ख) जी हॉ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** ।

आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण की स्थति

21. **(क्र. 328) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम कटारे का पुरवा पंचायत, पठादा, वि.ख. छतरपुर, जिला छतरपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन कब एवं कितनी राशि का स्वीकृत किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत भवन की वर्तमान में क्या स्थिति है ? क्या भवन स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार निर्मित हुआ है ? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार भवन निर्माण में ले-आउट के समय से लेकर निर्माण के विभिन्न चरणों में किन-किन अधिकारियों के द्वारा भवन का निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण उपरांत क्या टीप दी दिनॉक सहित बताऍं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) ग्राम कटारे का पुरवा पंचायत, पठादा विकासखंड, जिला छतरपुर में आंगनबाड़ी भवन का कार्य दिनांक 28/11/2011 को स्वीकृत किया गया, जिसकी लागत राशि रु. 4.00 लाख थी । (ख) उक्त स्वीकृत भवन में वर्तमान में दीवार कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं छत कार्य हेतु लोहा बांधा जा रहा है । भवन निर्माण स्वीकृत मापदण्डो के अनुसार कराया जा रहा है । (ग) भवन निर्माण में ले-आउट के समय से लेकर निर्माण के विभिन्न चरणों में उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छतरपुर द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण किया गया है । अधिकारियों के द्वारा भवन के निरीक्षण उपरांत कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये है ।

उचित मूल्य की दुकानों से राशन का वितरण

22. **(क्र. 329) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लुहरपुरा, पिपरियाकला, गोपालपुरा, बकचुर, पीपलटोला में राशन का वितरण किस उचित मूल्य की दुकान से होता है ? इसके प्रबंधकों के नाम एवं पता क्या है ? उक्त गांवों में विगत 01 वर्ष में कितना राशन वितरण हेतु भेजा गया ? महावार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त गांवों में कुल कितने परिवार बीपीएल, एपीएल या अन्य कार्डधारी परिवार है ? जिनको राशन प्रदाय किया जाता है ? क्या राशन का वितरण नियमित हो रहा है ? (ग) राशन वितरण की मानीटरिंग विगत 01 वर्ष में किन-किन अधिकारियों ने की ? क्या उक्त गांव मे विगत 01 वर्ष में राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत की गई ? यदि हां, तो शिकायतो की जानकारी एवं उन पर की गई कार्यवाही से अवगत करावे ? (घ) अनुविभागीय अधिकारी बिजावर को क्या प्रश्नकर्ता द्वारा राशन वितरण की शिकायत की जांच हेतु पत्र लिखे गए ? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई जानकारी प्रदाय करे ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) प्रश्नाधीन ग्रामों में राशन का वितरण सेवा सहकारी समिति शाहगढ़ द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान लुहरपुरा से होता है । इसके प्रबन्धक हरिशचन्द्र घतरा निवासी ग्राम पंचायत बडागांव तहसील बिजावर जिला छतरपुर है । 01 वर्ष में राशन वितरण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट- "अ" अनुसार** है । (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रदेश में लागू होने के उपरान्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतंर्गत एपीएल श्रेणी नहीं रही है । प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों लुहरपुरा, गोपालपुरा, पिपरियाकला, बक्चूर एवं मजरा पीपलटोला में एएवाय योजना के 85 बीपीएल के 103 एवं अन्य प्राथमिकता श्रेणी के 138 इस प्रकार कुल 326 पात्र परिवार हैं । ग्रामवार हितग्राहियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार** है । जी हॉ । (ग) राशन वितरण की मानीटरिंग विगत 01 वर्ष में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री राधेश्याम शर्मा एवं श्री एस.एस. चौहान एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री वीरसिंह एवं श्री सचिन श्रीवास्तव द्वारा की गई । जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "पन्द्रह"

पंचायत कर्मी की नियम विरूद्ध नियुक्ति

23. **(क्र. 349) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि ग्राम खौड़ेरा में पदस्थ पंचायत कर्मी ग्राम खौड़रा की मूल निवासी नहीं है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी द्वारा मेरे पूर्व के प्रश्न क्रं. 82 में 08 दिसम्बर 2014 को स्पष्ट सहमति उत्तर के दौरान दी गई है और मा.पं. मंत्री जी के द्वारा उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त पंचायत कर्मी ग्राम देवी नगर की है, तथा इनके पति की चल-अचल सम्पत्ति भी देवी नगर में है ? (ख) यह भी सच है कि माननीय न्यायालय राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल में याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्यमंत्री महोदय के आदेश द्वारा 16/07/12 से कलेक्टर टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 26/4/12 को स्थगित कर दिया गया था और पंचायत कर्मी की बहाली कर दी गई थी, जबकि मध्यप्रदेश पंचायत कर्मी योजना 1995 में पंचायत कर्मी की नियुक्ति हेतु ग्राम पंचायत सक्षम थी और यह प्रावधान था कि पंचायत कर्मी यथासंभव स्थानीय ही हो ? (ग) परन्तु उक्त पंचायत कर्मी खौड़ेरा की नियुक्ति पूर्ण अवैध ही है, स्थानीय नहीं हैं और मा.पं. मंत्री जी द्वारा मेरे प्रश्न के उत्तर में 08 दिसम्बर 2014 में लिखित तौर पर उल्लेख किया गया है कि अनावेदक ने क्रं. W.P./14004/2012 में याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाई है, जबकि अनावेदक हरलाल अहिरवार का कहना है और लेखकर पटल पर भी रखा जा सकता है कि हरलाल के द्वारा कोई भी याचिका नहीं लगाई गई है ? इसलिये उक्त राज्य मंत्री के आदेश 16/7/12 को कब तक समाप्त कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । माननीय राज्य मंत्री द्वारा पंचायतकर्मी योजना के नियम 8 मे प्रावधानानुसार म.प्र.पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 91 (अपील एवं पुनरीक्षण) नियम 1995 के तहत आदेश पारित किया है । (ग) माननीय राज्य

मंत्रीजी के आदेश दिनांक 16.07.12 के विरूद्ध श्री हरलाल अहिरवार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 14004/2012 दायर किया गया है, जो अभी प्रचलित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत ही प्रकरण में कार्यवाही संभव है ।

बस संचालन में अनियमितता

24. **(क्र. 358) डॉ. मोहन यादव :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन से होकर ए.सी. एवं स्लीपर की कितनी बसें प्रतिदिन गुजरती है इनके परमिट, फिटनेंस एवं अन्य प्रकार की अनियमितताओं के संबंध में दिनॉक 01.01.2012 के पश्चात् किन-किन सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब जॉच की गई एवं जॉच उपरांत कितने वाहनों में अनियमितता पाई गई एवं इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बसों द्वारा छतों के ऊपर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का आवागमन करना क्या विभाग की दृष्टि से नीतिगत है ? यदि नहीं तो वर्तमान में भी छतों पर माल ले जाकर वाणिज्यिक कर की राजस्व वसूली में शासन को चूना लगाने वालों के खिलाफ शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) आर.टी.ओ. द्वारा जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक किस-किस रूट पर किन-किन वाहनों को किस-किस व्यक्ति के नाम कितने फेरो (चक्कर) के लिये परमिट जारी किये गये क्या उक्त वाहन निश्चित रूट पर चल रहे निश्चित फेरों पर चल रहे है यदि नहीं तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई विवरण प्रस्तुत करें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) उज्जैन से होकर प्रदेश की एवं अन्य प्रदेश की ए.सी. एवं स्लीपर अखिल भारतीय पर्यटक टूरिस्ट बसें गुजरती है किन्तु इनका लेखा जोखा परिवहन कार्यालय में नहीं रखा जाता है । किन्तु उज्जैन जिले में प्रवेश करने वाली ऐसी वाहनो की समय समय पर आकस्मिक चैकिंग की जाती है । चैकिंग के दौरान मोटरयान नियमो का उल्लंघन पाये जाने पर, उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** है । (ख) मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 78 ,79, 80 में बसों पर यात्रियों का साधारण सामान रखने के प्रावधान उल्लेखित है, जिन्हे परमिटों की सामान्य शर्तो में अंकित किया जाता है । विभिन्न प्रकार के व्यापारिक माल का वहन बसों की छतों पर ले जाना पूर्णता निषिद्ध है । समय समय पर स्लीपर कोच वाहनों की चैकिंग के दौरान बसों की छत पर व्यापारिक माल वहन करते पाए जाने पर परिवहन जांच दल उज्जैन द्वारा नियमानुसार निर्धारित शास्ति वसूल की गई है जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** है । (ग) परिवहन कार्यालय उज्जैन द्वारा जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक 5959 यात्री वाहनो के स्वामियों को मार्ग पर बस संचालन हेतु परमिट जारी किये गये है मार्ग, वाहन क्रमांक परमिटधारी का नाम, फेरो एवं मार्ग का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है । प्रश्नांकित अवधि में आकस्मिक चैकिंग के दौरान उक्त अनुज्ञापत्रो के अंतर्गत संचालित वाहनें निर्धारित फेरो के अनुसार ही संचालित पाई गई है अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नही होता ।

<u>बगैर इंश्योरेंस के शासकीय वाहनों का संचालन</u>

25. **(क्र. 372) श्री आरिफ अकील :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बगैर इंश्योरेंस वाले वाहन को चलाना एवं वाहन में बैठना कानूनी अपराध है ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने व कौन-कौन से किस-किस विभाग के शासकीय वाहन भोपाल संभाग के रोड़ों पर वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में चल रहें हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि प्रदेश सरकार के किस-किस माननीय मंत्रीगण व भोपाल में पदस्थ आई.ए.एस., आई.पी.एस. के पास कौन-कौन से वाहन आवंटित है तथा कौन-कौनसे आवंटित वाहनों का इंश्योरेंस नहीं है ? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय वाहनों के इश्योंरेस नहीं कराने के क्या कारण है, तथा वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में यह भी अवगत करावें कि शासकीय वाहनों से सड़क दुर्घटना में पीडित लोगों/परिवार को न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजा राशि किस मद से व किस प्रकार वितरित किया जाता है तथा न्यायालय के आदेश के बावजूद ऐसे कुल कितने लोग/परिवार है जिन्हें कुल कितनी राशि का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है बतावें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146 में वाहनों के इंश्योरेंस संबंधी प्रावधान उल्लेखित है, किन्तु इसमें शासकीय वाहनों के संबध में छूट प्रदान की गई है । उक्त धारा 146 की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । बिना इंशोरेन्स के वाहन चलाने पर धारा 146 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है । शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है । (ग) प्रश्नांश-क में उल्लेखानुसार केन्द्रीय मोटरयान 1988 की धारा 146 में शासकीय वाहनों को बीमे से छूट प्रदान की गई है । शेष प्रश्नांश में उल्लेखित जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>परिशिष्ट - "सोलह"</u>

<u>कृषि उपमण्डी की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण</u>

26. **(क्र. 388) श्री सचिन यादव :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोरावां में कृषि उपमण्डी की वालबाउण्ड्री एवं किसानों की बैठक व्यवस्था नहीं होने के कारण उपमण्डी में प्राप्त अनाज की देख रेख और रख रखाव में आ रही आये दिन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निर्माण कार्य नहीं करने के क्या कारण है ? (ख) किसानों के हित में एवं अनाज की सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण संवेदनशील समस्या के निदान हेतु उक्त निर्माण कार्य कब तक करा लिया जायेगा ? समय सीमा बतावें नहीं तो क्यों कारणों का उल्लेख करें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि उपज मंडी समिति कसरावद की उपमंडी बोरावां में वर्तमान में कोई अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी नही होने से क्रय-विक्रय नही हो रहा है । उपमंडी प्रांगण की सुरक्षा व्यवस्था के लिये वर्ष में वायर फैसिंग का कार्य कराया गया

था,जो कि वर्तमान में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है । मंडी समिति के पास मंडी निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध नही होने से बाउण्ड्रीवाल एवं किसानों की बैठक व्यवस्था आदि कार्य नहीं कराये जा सके है । (ख) मंडी समिति कसरावद द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मंडी निधि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर बाउण्ड्रीवाल एवं किसानों की बैठक व्यवस्था आदि कार्य कराये जायेंगे । समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

<u>कैरोसिन की बिक्री</u>

27. **(क्र. 422) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले कैरोसिन की फुटकर बिक्री दर जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रस्ताव पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है, तथा इसमें दोष या त्रुटि होने पर कलेक्टर भी उत्तरदायी होंगे ? (ख) क्या यह सही है प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा की गई शिकायत से लगभग 31 लाख रुपये की वसूली थोक डीलर्स से की गई है ? परंतु इसमें किसी अधिकारी पर कार्यवाही नहीं की गई है ? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) के संबंध में दिनॉक 11.07.2012, 19.07.2012, 21.08.2012 एवं 04.09.2012 को प्रतिवेदनों द्वारा संज्ञान दिलाये जाने के बावजूद दो बार त्रुटिपूर्ण फुटकर कैरोसिन बिक्री दर आदेश जारी किये गये है ? जिससे यह सिद्ध है कि केवल थोक डीलर्स को अवैध लाभ पहुँचाने के लिये पद का दुरूपयोग किया गया है ? (घ) क्या यह भी सही है कि इस शिकायत के संबंध में ता. प्रश्न क्रमांक 20 (क्र.-222) दिनॉक 10.07.2013 को चर्चा के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने कलेक्टर को दोषी पाये जाने पर कलेक्टर के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी उल्लेख किया गया था । इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । जी नहीं, त्रुटिपूर्ण भाव निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किए गए हैं । (ग) अनुशासनात्मक कार्यवाही के निष्कर्ष के आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा । (घ) जी नहीं।

<u>खाद्यान्न की उपलब्धता</u>

28. **(क्र. 474) श्री कुंवर सिंह टेकाम :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में पी.डी.एस. के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किये जाने की योजना है ? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में किन-किन श्रेणियों के लोगों को खाद्यान्न देने की पात्रता है ? (ग) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त लोगों को खाद्यान्न देने की व्यवस्था है ? यदि है तो कितने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ? (घ) अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने लोगों को अभी खाद्यान्न के कूपन नहीं वितरित किये गये हैं ? कारण क्या है ? खाद्यान्न के कूपन कब तक वितरित कर दिए जाएंगे ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हॉ । (ख) पात्र परिवारों की श्रेणी की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) जी नहीं । आयकरदाता, प्रथम, व्दितीय अथवा तृतीय श्रेणी के

अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर मध्यप्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के समस्त परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न वितरण किए जाने का प्रावधान है । सिंगरौली जिले के देवसर में 36919 एवं सीधी जिले के कुसमी में 80133 एवं मझौली में 60625 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सदस्यों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है । इन सदस्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के वे सदस्य सम्मिलित नहीं हैं जो अन्त्योदय अन्न योजना एवं बीपीएल परिवारों की श्रेणी में हैं । (घ) कुसमी एवं मझौली विकासखण्ड के 6892 लोगों के आवेदनों का सत्यापन शेष है । उक्त परिवारों के सत्यापन उपरांत पात्र पाये जाने पर पात्रता पर्ची का वितरण किया जाएगा । पात्र परिवारों का सत्यापन एवं उन्हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "सत्रह"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 229 की जानकारी

29. **(क्र. 479) श्री रामनिवास रावत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 229 दिनांक 08.12.14 के प्रश्नांश (क) से (ग) के उत्तर में जानकारी एकत्रित की जाना प्रतिवेदित किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रश्न की जानकारी एकत्रित कर ली गई है ? (ख) यदि हां, तो प्रश्नांश (क) से (ग) की जानकारी बिन्दुवार उपलब्ध करावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 229 दिनांक 08.12.2014 के उत्तर में. जी हां. (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है.

केरोसिन की कालाबाजारी

30. **(क्र. 492) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रशासन का उचित नियंत्रण बना रहे राशन की दुकानों की चैंकिंग करायी जाती है, तथा अनियमितताओं की सूचनाओं पर छापे भी डाले जाकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही की जाती है ? (ख) यदि हां, तो सागर जिले के मुख्यालय पर स्थित कबूलापुल के पास एक दुकान में 10 दिसम्बर 2014 को खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम के द्वारा अवैध रूप से पाये गये 400 लीटर नीले कैरोसिन एवं 45 लीटर डीजल युक्त कैरोसिन की जप्ती के मामले में अब तक कब-कब और किस-किस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या यह सच है कि खाद्य अधिकारी ने इस प्रकरण में उस सहायक आपूर्ति अधिकारी को जांच प्रक्रिया से हटा दिया गया है जिसने छापा मारकर प्रश्नांश (ख) में वर्णित नीला कैरोसिन एवं डीजलयुक्त कैरोसिन जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया था ? यदि हां, तो क्यों ? (घ) यदि नही तो प्रश्नांश (ख) में वर्णित प्रकरण में कब तक किस अधिकारी से जांच करायी जाकर कथित आरोपियों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी ? विस्तृत जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हॉ । (ख) सागर जिला मुख्यालय स्थित कबूलापुल के पास स्थित कपड़े की दुकान से सटे मकान की जांच खाद्य विभाग के अमले द्वारा दिनांक 10-12-2014 को की गई । जांच में 275 लीटर नीला केरोसीन एवं 45 लीटर डीजल मिश्रित केरोसीन जप्त किया था तथा अनावेदकगणों द्वारा 125 लीटर केरोसीन जमीन पर फैला दिया गया था । उक्त प्रकरण में 1. प्रवेन्द्र पिता भगवान सिंह घोषी, 2. प्रभात पिता रामबाबू सिंह घोषी, 3. श्रीमती शकुनतला बाई पत्नि रामबाबू घोषी, 4. भगवान सिंह घोषी भगवानगंज वार्ड सागर के विरूद्ध प्रकरण निर्मित किया जाकर दिनांक 26.12.2014 आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6(ख) के तहत कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण संस्थित किया गया है । साथ ही उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना केंट में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है । (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित प्रकरण में विभागीय अमले द्वारा जांच पूर्ण की जाकर वैधानिक कार्यवाही कर दी गई है । न्यायालयीन प्रक्रिया होने से निराकरण की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है ।

ग्राम पंचायत में निम्न स्तरीय निर्माण कार्य

31. **(क्र. 506) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत भौरा खंड शाहपुर (बैतूल) में शवदाह गृह निर्माण कार्य घटिया हुआ है ? तो जिम्मेदार कौन है ? क्या जॉच होगी ? (ख) कपिलधारा कुऑ निर्माण हुये है ? (1) यदि हॉ तो कितने अधूरे हैं ? (2) यदि नहीं तो भौरा गुरगुंदा के घटिया निर्मित कुएँ कब पूरे होंगे ? (ग) वार्ड क्र. 08 में सी. सी. रोड, निर्माण किये गये हैं ? (1) यदि हॉ तो कब से कब तक बनाये गये है ? (2) क्या घटिया निर्माण कर किसी को लाभ दिया गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं । किये गये कार्य की गुणवत्ता अच्छी है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी हॉ । ग्राम पंचायत भौरा में 07 कपिलधारा कूप प्रगतिरत हैं । कार्यो की गुणवत्ता अच्छी है । 03 कपिलधारा कूपो की बंधाई पूर्ण हो चुकी है शेष 04 में खुदाई कार्य प्रगतिरत हैं । (ग) जी हॉ । वार्ड क्र. 08 में दो सी.सी. रोड के कार्य माह अक्टूबर-नवम्बर 2014 में कराये गये हैं । जी नहीं ।

क्रय केन्द्र प्रारंभ किया जाना

32. **(क्र. 507) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम चिचोली में सेवा सहकारी समिति (निर्वाचित) संचालित है ? (ख) सहकारी आ.जा. सेवा समिति चिचोली के अध्यक्ष कौन तथा कब से कार्यरत हैं ? (ग) म.प्र. शासन द्वारा संचालित गेहूँ क्रय केन्द्र समिति में संचालित है ? यदि हां, तो वर्ष 2014-15 में लाभान्वित कृषकों की संख्या देवें ? यदि नहीं, तो गोंडवाना समिति को विभाग लाभ दे रहा है ? (घ) आ.जा. सेवा सहकारी समिति, चिचोली में क्रय केन्द्र प्रारंभ होगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. (ख) श्री संजय/ हंसराज आवलेकर, दिनांक 10 जनवरी 2013 से. (ग) जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. विभाग द्वारा समिति को लाभ नही दिया जा रहा है वरन शासन की उपार्जन नीति अनुसार गोंडवाना विपणन सहकारी समिति द्वारा उपार्जन कार्य किया गया. (घ) जी नही, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञाप क्र. एफ5-31/2014/29-1 भोपाल दिनांक 27 दिसंबर, 2014 से जारी निर्देश के अंतर्गत अपात्रता धारण करने से.

दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही

33. **(क्र. 526) श्री चन्द्रशेखर देशमुख :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.ख. प्रभात पट्टन में मासोद से ड़ोगरपुर मार्ग में हुई अनियमितता में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पर पुलिस प्रकरण दर्ज हुई ? क्या उन्हें निलंबित किया गया है ? (ख) क्या विभाग द्वारा उन अधिकारी कर्मचारी के पुलिस प्रकरण दर्ज होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर उनकी उपस्थिति दर्ज कर उनका वेतन प्रदान किया गया है ? (ग) क्या अनियमितता में लिप्त पाये गये अनुविभागीय अधिकारी R.E.S. प्रभात पट्टन को यथावत उन्हीं स्थान पर पदस्थ कर दिया गया ? क्या यह नियमानुसार सही है ? नहीं तो उसे क्यों पदस्थ किया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विकासखण्ड प्रभात पट्टन में सामोद से ड़ोगरपुर मार्ग में हुई अनियमितता में 03 अधिकारियों एवं 04 कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज हुये । जिसमें से श्री के.एल. मर्सकोले कार्यपालन यंत्री को निलंबित किया गया । श्री पी.व्ही. डहाट सहायक यंत्री को भी इस कार्य के साथ-साथ अन्य कार्यो के कर्तव्य निवर्हन में उदासीनता एवं लापरवाही हेतु निलंबित किया गया था । (ख) पुलिस प्रकरण दर्ज होने के उपरांत श्री के.एल. मर्सकोले कार्यपालन यंत्री, श्री पी.व्ही. डहाट सहायक यंत्री, श्री एस.के. पाण्डेय उपयंत्री, राजेन्द्र मिश्रा उपयंत्री एवं श्री योगेश शर्मा उपयंत्री की अनुपस्थिति की अवधि का अब तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है । (ग) आयुक्त, होशंगाबाद द्वारा श्री पी.व्ही. डहाट को निलंबन समाप्त किये जाने पर प्रभात पट्टन में ही यथावत पदस्थ किया । की गई कार्यवाही नियमानुसार है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

आर.टी.ओ. से वाहनों का रजिस्ट्रेशन

34. **(क्र. 528) श्री बाला बच्चन :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी आर.टी.ओ. (R.T.O.) द्वारा दिनांक 01-01-2013 से 20-01-2015 तक कितने ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन किया गया है ? माहवार, रजिस्ट्रेशन नं., वाहन मालिक का नाम, डीलर नाम, वाहन नाम एवं प्रकार सहित देवें ? (ख) क्या यह सही है कि प्रभारी प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक भोपाल द्वारा (R.T.O.) सीधी से ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन चैक करवाया जा रहा है ? (ग) यदि हां, तो उनके द्वारा दिए गए पत्रों जिनमें इन नामों का उल्लेख हो की छायाप्रति देवें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जिला परिवहन कार्यालय सीधी द्वारा दिनांक 01.01.2013 से 20.01.2015 तक कुल 1370 ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन किया गया है । माहवार, रजिस्ट्रेशन नम्बर वाहन मालिक का नाम, डीलर का नाम एवं वाहन के नाम के प्रकार सहित

जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नही । (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में उत्तर अपेक्षित नहीं ।

नवलखा बीज कंपनी पर कार्यवाही

35. **(क्र. 535) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवलखा बीज कं. महिदपुर के संबंध में की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? (ख) क्या नवलखा बीज कं. महिदपुर के विरूद्ध प्रमुख सचिव कृषि विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज करने के लिए जिलाधीश उज्जैन को आदेश दिया गया है ? क्या इसमें भा.द.वि धारा 420 एवं 3/7 ई.सी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश है ? (ग) क्या उपरोक्त प्रकरण में F.I.R. दर्ज करा दी गई है ? यदि नहीं तो इसमें विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही कर नवलखा बीज कं. महिदपुर के विरूद्ध F.I.R. दर्ज करवाएगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) नवलखा बीज कम्पनी, महिदपुर के संबंध में की गई जांच में बीज उत्पादन कार्यक्रम की प्रक्रिया का पालन न करते हुए प्रथम दृष्टया फर्जी बीज उत्पादन कराया जाना पाया गया है । (ख) जी हॉ । उत्तरांश "क" के परिपेक्ष्य में जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट उज्जैन को आदेश दिये गये हैं । जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है । (ग) जी हॉ । जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "अठारह"

गेहूँ उपार्जन परिवहन प्रणाली

36. **(क्र. 536) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गेहूँ उपार्जन के समय परिवहन की ठेका प्रणाली क्या है ? (ख) उज्जैन जिले में इसके लिए विगत 3 वर्षों में जिन फर्मों/व्यक्तियों ने आवेदन किया उनके नाम, पता एवं उनके द्वारा भरी गई दरों का वर्षवार विवरण देवें ? चयनित फर्म/व्यक्ति का विवरण पृथक से देवें ? (ग) क्या कारण है कि उज्जैन जिले में एक ही ठेकेदार के पास विगत कई वर्षों से ठेका है ? समय पर उपार्जन न करने वाले ठेकेदार पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के परिवहन के लिए खुली निविदा के माध्यम से परिवहन दरें आमंत्रित कर परिवहनकर्ता की नियुक्ति की जाती हैं । (ख) उज्जैन जिले में विगत तीन वर्षों में जिन परिवहनकर्ताओं द्वारा निविदा में भाग लिया उनकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । वर्षवार, सेक्टरवार, चयनित परिवहनकर्ताओं की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ग) खुली निविदाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर निविदाऐं स्वीकृत की जाती हैं । उज्जैन जिले में एक ही फर्म द्वारा एक ही सेक्टर में निरंतर तीन वर्षो से परिवहन का कार्य नहीं किया गया है । परिवहन दस्तावेजों में उल्लेखित समय-सीमा में परिवहन का कार्य न करने पर परिवहनकर्ता के विरूद्ध पेनॉल्टी अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है, तद्नुसार कार्यवाही की जाती है ।

परिवहन विभाग का स्थाई कांउटर खोला जाना

37. **(क्र. 544) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रवासियों को वाहनों के नवीन लायसेंस, लायसेंस नवीनीकरण, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहन परमिट आदि छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिये लगभग 26 कि.मी. की दूरी तय करके जिला मुख्यालय राजगढ़ जाना पड़ता है तथा वाहनों से संबंधित सभी कार्य जिला स्तर पर होने से नागरिकों के काफी समय एवं धन की बर्बादी होती है ? (ख) यदि हां तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ब्यावरा नगर में परिवहन विभाग का एक स्थाई काउंटर पुराने डिपो कार्यालय भवन में प्रारंभ करने हेतु माह अक्टूबर 2014 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दृष्टि-पत्र 2018 के माध्यम से अनुरोध किया गया था । जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया था ? (ग) यदि हां तो उक्त संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक ब्यावरा नगर में परिवहन विभाग का स्थाई काउंटर प्रारंभ कर दिया जावेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हां, परिवहन विभाग में नवीन लायसेंस, लायसेंस नवीनीकरण, वाहन फिटनेस, परमिट आदि जिला परिवहन कार्यालय राजगढ़ से जारी होते है । जिला परिवहन कार्यालय राजगढ़ में कम्प्यूटर कैमरे के सामने लायसेंस हेतु आवेदक को एवं फिटनेस हेतु वाहन का समक्ष में होना अनिवार्य है । (ख) दृष्टि पत्र 2018 के लोक परिवहन से संबंधित अध्याय में प्रश्नांकित बिन्दु सम्मिलित नहीं है । शेष प्रश्नांश में उल्लेखित निर्देश इस कार्यालय के ज्ञान में नहीं है । (ग) प्रश्नांश (क) तथा प्रश्नांश (ख) के उत्तरों के प्रकाश में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है ।

रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा किया गया गबन

38. **(क्र. 564) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल के द्वारा अपने सदस्यों से विकास शुल्क के नाम पर राशि लेने के बाद भी उन्हें स्थल पर प्लाटो का आवंटन नहीं किया गया है ? अगर हां तो कितनी-कितनी राशि किस-किस नाम के सदस्यों से लेकर उस राशि को किस बैंक के किन खातों में जमा किया गया है ? सूची दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित उक्त सोसायटी के किस-किस नाम के सदस्यों ने लिखित में शिकायतें सहकारिता विभाग के किस नाम/पदनाम को प्रश्नतिथि तक क्या-क्या दी है ? सक्षम कार्यालयों ने प्रश्नतिथि तक क्या-क्या कार्यवाही कब-कब, किस-किस के विरूद्ध की ? बिन्दुवार विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित सोसायटी के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल पर प्रश्नतिथि तक संबंधित थाना क्षेत्रों में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई ? अगर नहीं तो क्यों ? अगर हां तो किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध ? विन्दुवार जानकारी दें ? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित उक्त सोसायटी के किस-किस नाम के सदस्यों को स्थल पर प्लाट प्रश्नतिथि तक आवंटित नहीं हुये ? सूची दे ? उक्त सोसायटी में अब तक कितनी राशि का गबन शासन के समक्ष प्रश्नतिथि तक आया है ? बिन्दुवार विवरण दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) यह सत्य है कि रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा अपने सदस्यों से विकास शुल्क के नाम पर राशि प्राप्त की गई है. संस्था में वर्तमान में प्रशासक नियुक्त है, प्रशासक को संस्था का रिकार्ड प्राप्त नही हुआ है, रिकार्ड जप्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, रिकार्ड प्राप्ति के उपरांत जानकारी दी जा सकेगी. (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार है.** (ग) जी हां. **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" अनुसार है.** (घ) संस्था में वर्तमान में प्रशासक नियुक्त है, प्रशासक को संस्था का रिकार्ड प्राप्त नही हुआ है, रिकार्ड जप्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, रिकार्ड प्राप्ति के उपरांत जानकारी दी जा सकेगी ।

समय पर पेंशन का भुगतान

39. **(क्र. 565) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के तहसील मेहगांव के अंतर्गत किस-किस ग्राम पंचायतों के कितने हितग्राहियों को निराश्रित, वृद्धावस्था, विधवा पेन्शन प्रश्नतिथि तक कितनी-कितनी मेहगॉव विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही है ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित ग्रामों के हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्रश्नतिथि तक कब-कब, किस-किस माह का भुगतान मेहगॉव विधान सभा क्षेत्र में किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित हितग्राहियों को कब से पेन्शन का भुगतान नहीं किया गया है ? कारण बतायें कि क्यों नहीं किया ? कब तक किया जायेगा समय- सीमा दें ? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित हितग्राहियों को निश्चित समय में पेंशन का भुगतान नहीं करने के किस नाम/पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? उन पर कब व क्या कार्यवाही की जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

यूरिया का आवंटन

40. **(क्र. 579) श्री जितू पटवारी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में जिलावार यूरिया खाद की कितनी मांग रही एवं कितना आवंटन प्रदाय किया गया ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितना यूरिया सहकारी संस्थाओं को एवं कितना यूरिया निजी संस्थाओं को आवंटित किया गया ? समय अनुसार मापदण्ड क्या था ? स्पष्ट करें ? (ग) क्या यह सही है कि विगत 6 माह में प्रत्येक जिले की मांग के अनुपात में यूरिया की आपूर्ति शासन नहीं कर पाया ? (घ) क्या विगत 6 माह में प्रदेश में कहीं भी यूरिया की मांग के अन्तर्गत किसानों के द्वारा किये गये प्रदर्शन को लेकर किसानों एवं पुलिस में कोई झड़प हुई है ? यदि हां, तो कहां एवं कितने किसानों पर किन-किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किये गये है ? (ड.) क्या पिछले वित्तीय वर्ष में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर शासन के संज्ञान में कोई शिकायत/जानकारी आई है यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है एवं कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 (दि. 01.04.2014 से दि. 02.02.2015 तक) में 11,70,165 मैट्रिक टन यूरिया सहकारी संस्थाओं एवं 741721 मैट्रिक टन यूरिया निजी विक्रेताओं को उपलब्ध कराया गया । विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.12.2014 के द्वारा सहकारी संस्थाओं को 70 प्रतिशत एवं निजी संस्थाओं को 30 प्रतिशत यूरिया उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये । (ग) भारत शासन से प्राप्त आवंटन अनुसार जिलों को यूरिया उपलब्ध कराया गया । (घ) किसानों एवं पुलिस में झड़प होने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ड.) पिछले वित्तीय वर्ष में यूरिया के अवैध भण्डारण का एक प्रकरण सागर जिले में संज्ञान में आया है । संबंधित के विरूद्ध क्रमांक 354/13 दिनांक 08.08.2013 द्वारा पुलिस थाना देवरी जिला सागर में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है ।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

लायसेंस बनाने के कार्य में अनियमितता

41. **(क्र. 580) श्री जितू पटवारी :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिला आर.टी.ओ., कार्यालय में कितने पद स्वीकृत है कितने कार्यरत है एवं कितने पद रिक्त है ? पदवार जानकारी देवें ? (ख) क्या इंदौर जिले में लायसेंस बनाने संबंधी कार्य एवं अन्य कार्य की जिम्मेदारी किसी निजी कंपनी को सौंपी गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारीयां निजी कंपनी को दी गई है ? साथ ही निजी कंपनी के द्वारा किये गये कार्यो की जांच एवं मॉनिटरिंग करने हेतु किन-किन सरकारी अधिकारियों को अधिकृत किया गया है ? (ग) क्या इंदौर जिले के आर.टी.ओ. कार्यालय में 1 अप्रेल 2014 से प्रश्न दिनांक तक लायसेंस बनाने संबंधी कार्य में निजी कंपनी के कर्मचारियों की अनियमितताएं सामने आई है ? (घ) यदि हां, तो अनियमितता करने वाली कंपनी द्वारा संबंधित कर्मचारियों पर तथा विभाग द्वारा मॉनिटरिंग करने वाले सरकारी अधिकारियों एवं अनुबंधित निजी कंपनी पर क्या कार्यवाही की गई है ? अथवा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय,इन्दौर में कुल 55 पद स्वीकृत है इनके विरूद्ध कुल 49 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है एवं 10 पद रिक्त है । पदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) जी हॉ, इन्दौर जिले में लाइसेंस बनाने संबंधी कार्य एवं अन्य अनुबंधित कार्यो की जिम्मेदारी मैंसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड, नोएडा को सौपी गई है । सौपे गये कार्यो संबंधी अनुबंध विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । निजी कंपनी के द्वारा किये कार्यो की मॉनिटरिंग का कार्य मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्टोनिक डव्लपमेंट कार्पोरेशन भोपाल को सौपा गया है । कार्यालय प्रमुख होने से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, इन्दौर द्वारा भी पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है । इस क्रम में समय-समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है । (ग) प्रश्नांकित अवधि दिनॉक 1 अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनॉक तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, इन्दौर की लाइसेंस शाखा में निजी कंपनी के कर्मचारियों की अनियमितता सामने नही आई है । (घ) प्रश्नांश-ग के उत्तर के प्रकाश में कोई कार्यवाही अपेक्षित एवं प्रस्तावित नही है ।

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उपरांत कब्जा न दिया जाना

42. **(क्र. 734) श्री रामनिवास रावत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि रॉयल गृह निर्माण समिति मर्यादित ग्वालियर द्वारा ग्राम ओहदपुर के हल्का 61 महलगांव की भूमि सर्वे क्रं. 206/मिन, 207, 208, 209, 210, 231, 232, 279 में समिति अध्यक्ष श्री पंकज भूतड़ा द्वारा श्रीमती विमल साहनी पत्नी स्व. श्री टी.आर. साहनी द्वारा ब्लॉक ए में प्लाट क्रं. 2 जिसका क्षेत्रफल 6x15.24=91.44 वर्ग मीटर लेखबद्ध है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रजिस्ट्री करायी व विक्रय पत्र में क्रेता को अधिपत्य भी प्रदान कर दिया लेकिन जब क्रेता मौके पर पहुंचा तब पता चला कि उक्त भूमि के सर्वे क्रं. 206/मिन रकवे 0.471 पर श्रीमती ज्योति गुर्जर का कब्जा है व श्रीमती ज्योति गुर्जर द्वारा खसरा दिखाया जिसमें श्रीमती ज्योति गुर्जर की भूमि दर्ज है ? क्या यह भी सही है कि उक्त कॉलोनी के ले-आउट में दर्शाए गए सार्वजनिक पार्क की भूमि जिसका क्षेत्रफल 20000 वर्ग फीट है पर भी लोगों का कब्जा है ? (ख) यदि हां, तो प्रश्नांश क अनुसार विक्रेता रॉयल गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री पंकज भूतड़ा द्वारा क्रेता श्री श्रीमती विमल साहनी के साथ कई अन्य व्यक्तियों को प्लॉट बेचने व आज तक कब्जा नहीं देने एवं उनके साथ धोखाधड़ी की कितनी शिकायतें पुलिस अधीक्षक, एवं जिलाधीश ग्वालियर, उप पंजीयक ग्वालियर एवं सी.एम. हेल्पलाइन पर कब-कब प्राप्त हुई ? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई बतावें? जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें ? (ग) क्या शासन प्रश्नांश (क) अनुसार सोसाइटी के अध्यक्ष व संचालकों द्वारा फर्जीवाड़ा कर विक्रय पत्र निष्पादित करने व क्रेताओं को मौके पर कब्जा नहीं देने की उच्च स्तरीय जांच कराकर क्रेताओं द्वारा क्रय की गई भूमि पर कब्जा प्रदान कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. जी हां, खसरा क्रमांक 206 मिन. की भूमि के कतिपय भाग पर श्रीमती ज्योति गुर्जर का कब्जा है तथा श्रीमती गुर्जर की भूमि दर्ज है. जी हां, कालोनी के ले-आउट में दर्शाये गये सार्वजनिक पार्क की भूमि पर कुछ लोगो द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है. (ख) उप पंजीयक ग्वालियर एवं सी.एम. हेल्पलाइन में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है, पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर ग्वालियर के माध्यम से भी कोई शिकायत कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला ग्वालियर को प्राप्त नहीं हुई है. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. अपितु विधान सभा सत्र जून-जुलाई 2014 में प्राप्त शून्य काल की सूचना क्रमांक 142 के सन्दर्भ में कराई गई जांच का जांच प्रतिवेदन की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है. (ग) श्रीमती विमल साहनी द्वारा उक्त प्लाट पर अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय एकादशम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 में प्रकरण क्रमांक 41 ए/14 ई.बी. दायर किया गया है, जो माननीय न्यायालय में प्रचलित है. अतः प्रशासनिक जांच की आवश्यकता नहीं है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायतों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति

1. **(क्र. 26) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर, उज्जैन संभाग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत पंचायतों में डाटा इंट्री एवं कम्प्यूटरीकृत कार्यों को करने हेतु डाटा इंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति किन-किन शर्तों पर की गई ? क्या इस हेतु कोई ठेका किसी कम्पनी को दिया गया ? यदि हॉ तो कम्पनी के नाम सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक (क) के तहत क्या ठेकेदारों ने बेरोजगार युवाओं को उक्त नियुक्ति सरकारी बताकर युवकों से उक्त संभाग में राशि वसूल की है ? यदि हॉ तो इस संबंध में कितनी शिकायतें किन-किन तहसीलों में कब-कब किस-किस के द्वारा दी गई ? उन शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या ? (ग) क्या यह सही है कि कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जा रहा है, विभाग द्वारा नहीं ? यदि हॉ तो किन नियमों के तहत भुगतान किया जा रहा है ? नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें । (घ) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कम्प्यूटर कार्यों हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटरों के नवीन शासकीय पद भरे जाऐंगे ? यदि हॉ तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है । (ग) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (घ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की नवीन विभागीय संरचना में सृजित पदों को भर्ती नियमों के तहत पद पूर्ति की जायेगी । समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

पंचायत विभाग द्वारा निर्माण कार्य

2. **(क्र. 27) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मन्दसौर जिले को वर्ष 2012 के पश्चात प्रश्न दिनांक तक 12 वें, 13वें वित्त आयोग मद में कितनी-कितनी राशि किस-किस एजेन्सी को आबंटित की गई ? आबंटन आदेश की प्रति सहित विवरण दें ? (ख) उक्त राशि में से किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि किस दिनांक को आबंटित हुई ग्राम पंचायत एवं ब्लाकवार विवरण देवें ? (ग) उक्त कार्यों के लिये वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां कब-कब जारी हुई, स्वीकृत कार्य किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि से किस-किस ऐजेन्सी द्वारा पूर्ण कराया गया इससे किस-किस ग्राम एवं व्यक्ति को लाभ हुआ ? (घ) स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य अभी निर्माणाधीन है तथा कौन-कौन से अभी प्रारंभ ही नहीं हुए ? (ड.) पूर्ण हुए कार्यो पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई, तथा किन-किन निर्माण कार्यो की शिकायत किस-किस व्यक्ति द्वारा कब-कब की गई ? जांच की अद्यतन स्थिति क्या है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का संचालन

3. **(क्र. 38) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले की वृहताकार सेवा सहकारी साख संस्था मर्यादित उगली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कितनी दुकानें है एवं कहॉ-कहॉ संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्था की दुकानों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने हितग्राहियों को शासन की योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न प्रदान किया जाता है ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्था की दुकानों में प्रत्येक दुकान पर कितने हितग्राही सदस्यों का होना आवश्यक है ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) शाजापुर जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, उगली द्वारा दो उचित मूल्य दुकानें संचालित की जा रही है, जो कि उगली एवं भीमपुरा से संचालित है । (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्था द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान उगली में अन्त्योदय अन्न योजना के 14 परिवार (सदस्य 52) एवं प्राथमिकता श्रेणी के 585 परिवार (सदस्य 2541) तथा उचित मूल्य दुकान भीमपुरा में अन्त्योदय अन्न योजना के 02 परिवार (सदस्य 07) एवं प्राथमिकता श्रेणी के 34 परिवार (सदस्य 197) को शासन की योजनांतर्गत खाद्यान्न का प्रदाय किया जा रहा है । (ग) मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान खोले जाने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि 200 से कम राशनकार्ड एक पंचायत में होने पर पृथक दुकान नहीं खोला जाना चाहिए ।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

4. **(क्र. 39) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कोई नीति है ? यदि है तो मार्च 2014 से जनवरी 2015 तक कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण मंडी बोर्ड द्वारा किये गये ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयावधि में जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये वे कब से उन मंडियों में पदस्थ थे ? क्या जहॉ पर स्थानान्तरित किये गये वह मंडियां उनकी मूल मंडियां है अथवा नहीं ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) वर्ष 2014-2015 में मंडी बोर्ड के कर्मचारियों हेतु स्थानांतरण नीति लागू नही है, परंतु प्रश्नांश अवधि में कुल 363 कर्मियों का प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढीकरण की दृष्टि से 04 वर्ष से अधिक समय से एक ही मंडी समिति में पदस्थ सचिवों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया, "घ" वर्ग की मंडियों में न्यूनतम मंडी निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को वरिष्ठता क्रम से स्थानांतरित कर प्रभारी सचिव बनया गया, "घ" वर्ग की मंडी समितियों में न्यूनतम 02 सहायक उपनिरीक्षकों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पदस्थापनायें, "क" एवं "ख" वर्ग की बडी मंडियों में प्रभावी लेख व्यवस्था लागू करने हेतु नियमित लेखापालों की पदस्थी, आचंलिक कार्यालयों से युक्तियुक्तकरण हेतु प्राप्त प्रस्तावों आदि के तहत अधिकांश: स्थानांतरण किये गये है । (ख) **जानकारी पुस्तकालयय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

तह. पिपलौदा एवं जावरा अन्तर्गत नि:शक्तजन

5. **(क्र. 46) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा नगर, तह.पिपलौदा एवं तह. जावरा अन्तर्गत कुल कितने-कितने महिला एवं पुरूष विकलांग है ? (ख) उपरोक्त में कुल कितने वृद्ध, युवा एवं बच्चे विकलांग है, उनकी विकलांगता किस-किस प्रकार की है ? यथा एक हाथ से एक पैर अथवा अन्य प्रकार से, बताऐं ? (ग) क्या जन्म से मूक-बधिर एवं दोनों हाथ-पैर से विकंलागता से ग्रस्त उपरोक्तानुसार वर्गीकृत महिला,पुरूष वृद्ध, युवा एवं बच्चे भी चिन्हित है ? यदि हॉ,तो इन्हे शासन की योजनानुसार क्या-क्या हितलाभ कर संरक्षण वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक प्रदान किया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ग) जी हां, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "बीस"

ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जारी किए गए बसों के परमिट

6. **(क्र. 47) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बसों एवं अन्य यात्री वाहनों को परमिट जारी किए गए हैं ? (ख) यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर किस-किस को स्थाई एवं अस्थाई परमिट जारी किए गए हैं ? (ग) क्या उक्त स्थाई एवं अस्थाई परमिटों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों के परिवहन की व्यवस्था संतोषजनक होकर पर्याप्त है ? (घ) यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्तमान में किस-किस प्रकार के कितने वाहन चलायमान होकर कार्यरत हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हां । (ख) जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जिन मार्गो पर अस्थाई परमिट जारी किये गये है उनकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है, स्थाई परमिट जारी नहीं किये गये है । (ग) जी हां, सभी प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण कर परमिट जारी किये गये है । कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं है । (घ) वर्तमान में 30 यात्री बसों व 20 मिनीडोर के अस्थाई अनुज्ञा वैध है । जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

फसल बीमा योजना को जन उपयोगी बनाना

7. **(क्र. 70) श्री मुकेश नायक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फसल बीमा योजना के अंतर्गत पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया जिलों में वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कितने ग्रामों में कितने किसानों को फसल मुआवजा

के रूप में कुल कितनी धन राशि का भुगतान किया गया ? कृपया जिलेवार जानकारी दीजिए ? (ख) फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इसे अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? (ग) क्या पटवारी द्वारा फसल की क्षति के आंकलन की रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक रूप से किसानों को देने, तथा मुआवजा राशि भुगतान की सूचना सार्वजनिक करने के बारे में कोई व्यवस्थायें की हैं ? यदि हां, तो इस बारे में जानकारी दें, तथा यदि नहीं, तो क्या इस बारे में शासन कोई विचार करेगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है । (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999 मौसम रबी से भारत सरकार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है योजना में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार केन्द्र सरकार का है । (ग) प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर क्षति के आंकलन राजस्व, कृषि, उद्यानिकी एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के संयुक्त दल द्वारा कृषकों, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है । क्षति के पत्रक पर पंचनामा तैयार किया जाता है, जिस पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं । इस प्रकार फसल क्षति का आंकलन सार्वजनिक रूप से होता है । आंकलन के आधार पर राहत राशि का निर्धारण किया जाता है, वह भी सार्वजनिक होता है ।

<u>परिशिष्ट - "बाईस"</u>

<u>स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण</u>

8. **(क्र. 73) श्री मुकेश नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान जो 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया उसमें घरों में शौचालय निर्माण के लिए अनुदान राशि रुपया 12 हजार निर्धारित की गयी है । (ख) इस योजना के अन्तर्गत अक्टूबर 2014 से जनवरी 2015 तक कितने घरों में शौचालय का निर्माण किया गया तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गयी ? इसकी जानकारी जिलावार प्रदान की जावें । (ग) स्वच्छ भारत अभियान को लेकर प्रदेश में भी स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया ? (घ) स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान का प्रभाव मर्यादा अभियान पर क्या है ? क्या स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान के संचालन के लिए अलग से कोई मार्गदर्शिका बनायी गयी है ? यदि हॉ तो उपलब्ध करायी जाये और नहीं, तो कब तक बनायें जाने की योजना है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बीपीएल/निर्धारित एपीएल परिवारों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण एवं हाथ धोने तथा शौचालय की सफाई के लिए जल उपलब्ध कराने और भंडारण सहित के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रूपये 12000/- तक होगी । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) जी हॉ, दिनांक 02 अक्टूबर 2014 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वच्छ मध्यप्रदेश

अभियान का उद्घाटन भोपाल में किया गया । (घ) मर्यादा अभियान के समान ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत् महिलाओं एवं बालिकाओं के मान-सम्मान एवं गरिमा पर केन्द्रित किया जा रहा है । स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान के संचालन के लिए वर्तमान में कोई पृथक से मार्गदर्शिका नहीं बनाई गई है, भारत शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु जारी मार्गदर्शिका के अनुसार ही प्रदेश में भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

परिशिष्ट - "तेईस"

स्टापडेम/काजवे निर्माण

9. **(क्र. 148) श्री मोती कश्यप :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 14-02-2013 को वि.स.क्षे. बड़वारा के आयोजित कार्यक्रम में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा तकनीकी अधिकारियों को क्षेत्र की नदियों व नालों का सर्वेक्षण कर स्टापडेम/काजवे के प्राक्कलन तैयार करना व स्वीकृत करवाना निर्देशित किया गया है ? (ख) क्या प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्नांश (क) से संदर्भित स्टापडेम/काजवे की सूची सहित अपने पत्र दिनांक 25-01-2014 को मा. मुख्यमंत्री जी एवं मा. विभागीय मंत्री जी को लेख किया गया है और किनके द्वारा किनको क्या कार्यवाही करना निर्देशित किया है ? संलग्न करें ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) (ख) पर कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कटनी ने अपने पत्र दिनांक 22-09-2014 द्वारा कलेक्टर कटनी को किये गये लेख में किन्हीं कार्यों पर किसी राशि की आवश्यकता दर्शायी है तथा क्या प्रश्नांश (ख) की सूची में से प्रश्नांश (ग) के कार्यों को घटाने के उपरान्त शेष रह गये कार्यों के प्राक्कलन बनाये जाकर किसी से धनराशि की मांग की गई है ? (घ) प्रश्नांश (ख) (ग) निर्माणों से कितना रकबा सिंचित एवं जलसंवर्धन होगा और कितने ग्रामों को आवागमन का मार्ग सुलभ होगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 14.02.2013 को बड़वारा अंत्योदय मेला में बड़वारा क्षेत्र के स्टाप डेम के सर्वेक्षण किये जाकर आगे की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये । (ख) जी हॉ । जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.सेवा संभाग कटनी ने 52 स्टाप डेमों की प्रथम स्तरीय लागत कुल राशि रू. 2280.74 लाख की आवश्यकता का लेख कलेक्टर कटनी को किया गया है । जी नहीं। (घ) स्टाप डेम्स हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं कराये गये हैं । अतः निर्माण कार्यों से सिंचित रकबा, जलसंवर्धन एवं आवागमन हेतु सुलभ मार्गों के ग्रामों की जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "चौबीस"

लंबित प्रकरणों में राशि का भुगतान

10. **(क्र. 233) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ओला वृष्टि/अति वृष्टि से 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान वाले कृषकों की कन्या के विवाह हेतु 25 हजार रूपये की सहायता विवाह योजना हेतु शासन के क्या-क्या निर्देश हैं ? उनकी प्रति दें ? (ख) देवास जिले में उक्त योजना के अन्तर्गत कन्या के विवाह हेतु

1 मार्च 2014 से 20 जनवरी 2015 की अवधि में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? (ग) कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये तथा आवेदनकर्ता को सूचना क्यों नहीं दी गई ? स्वीकृत प्रकरणों में कितने प्रकरणों मे राशि का भुगतान नहीं हुआ, तथा क्यों ? कारण बतायें, तथा कब तक राशि का भुगतान होगा ? (घ) उक्त जिले में उक्त प्रकरणों के संबंध में प्रश्नांश (ख) अवधि में मान. मंत्री जी, तथा जिला प्रशासन को विधायकगणों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए, तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है । (ख) 87 आवेदन प्राप्त हुए है (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है । (घ) जिला अंतर्गत माननीय मंत्रीजी तथा जिला प्रशासन विधायक गणों के कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विकलांग पेंशन का प्रदाय

11. **(क्र. 234) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायसेन एवं देवास जिले में प्रश्न दिनांक तक कुल कितने मानसिक, अंधे एवं बहु विकलांग पंजीकृत किये गये दें जिलेवार बताएँ? (ख) उक्त पंजीकृत विकलांगों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान करने के शासन के निर्देश हैं ? उनकी प्रति दें ? (ग) रायसेन एवं देवास जिले में उक्त पंजीकृत विकलांगों को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ? (घ) जनवरी 2015 की स्थिति में उक्त विकलांगों को किस माह तक की पेंशन का भुगतान हुआ है, तथा प्रतिमाह पेंशन का भुगतान हो, इस हेतु शासन क्या-क्या कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है । (घ) हितग्राहियों को माह दिसंबर 2015 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया है । प्रतिमाह पेंशन भुगतान के निर्देश पूर्व से है ।

विकंलागो को सुविधायें

12. **(क्र. 244) श्री वीरसिंह पंवार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकंलागों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा कौन-कौनसी योजनायें संचालित है तथा उनमें क्या-क्या प्रावधान है ? (ख) जनवरी 2015 की स्थिति मे विदिशा जिले में विभिन्न श्रेणी के विकंलागों की संख्या बतायें तथा वर्ष 2012-13 से 2015 तक कितनी राशि कहॉ-कहॉ से कब-कब प्राप्त हुई ? (ग) उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कहॉ-कहॉ करवाये तथा कितनी सामग्री किस उद्देश्य से क्रय की गई ? (घ) उक्त विकंलागों में से कितनों को पेंशन मिल रही है तथा कितने विकंलागों को पेंशन नही मिल रही उनकी पेंशन कब तक स्वीकृत की जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** अनुसार है । (घ) विदिशा जिले मे पात्र

7805 विकलांगों को शासन नियमानुसार पेंशन जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के माध्यम से प्रदाय की जा रही है । यह सतत् प्रक्रिया है, नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।

मनरेगा के निर्माण कार्यों में भुगतान की स्थिति

13. **(क्र. 247) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013-14 व 2014-15 में ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत ऐसे कौन-कौन से कार्य कराये गए हैं जिनमें मजदूरों तथा सामग्री का भुगतान प्रश्न दिनॉक तक नहीं किया जा सका है ? क्यों ? लंबित भुगतान का विवरण व कारण कार्यवार बतायें ? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित कार्यों की वर्तमान में क्या स्थिति है ? पूर्ण-अपूर्ण का प्रतिशत बतावें ? किस-किस निर्माण एजेंसी को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है ? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित कार्यों के भुगतान न होने के लिए कौन-कौन जिम्मेदर हैं व कब तक सम्पन्न कार्य का भुगतान किया जावेगा ? स्पष्ट समय-सीमा बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सतना जिले की मैहर विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजनान्तर्गत संशोधित अनुसूची-1 के पैराग्राफ-1(ख) अनुसार अनुमेय कार्यो यथा शौचालय निर्माण, मेड बंधान, बकरी पालन शेड, पशु फर्श व नाद निर्माण, कपिल धारा कूप, पीसीसी रोड, खेत सडक निर्माण आदि कार्य करवाये गये है । वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मनरेगा योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये किसी भी कार्य का मजदूरी भुगतान लंबित नहीं है उपरोक्तानुसार करवाये गये कार्यो में से 730 कार्यो की सामग्री राशि 12798086 रूपए (शब्दो में राशि रूपए एक करोड सत्ताईस लाख अटठाननवे हजार छियासी रूपये मात्र) का भुगतान शेष है । भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान किया जा सकेगा । लंबित सामग्री भुगतान का विवरण एवं कारण **पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के पप्रत्र-1 अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अनुसार कार्यों में से कुल 3384 कार्य पूर्ण है जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे गए परिशिष्ट के पप्रत्र-2** तथा 2412 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत हैं जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पप्रत्र-3 अनुसार** है । (कुल कार्य - 5796, पूर्ण कार्य - 3384, प्रगतिरत कार्य - 2412, पूर्णता का प्रतिशत-58 प्रतिशत) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. में निर्माण एजेन्सी को भुगतान किये जाने का प्रावधान नहीं है बल्कि सीधे निधि अंतरण आदेश द्वारा बैकों के माध्यम से मजदूरों के खाते एवं सामग्री प्रदाता के खाते में राशि स्थानांतरित की जाती है । (ग) प्रश्नांक (क) में वर्णित कार्यों में मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है । सामग्री मद में आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान किया जा सकेगा । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

लोक सेवा केन्द्र की कार्यप्रणाली

14. **(क्र. 248) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर स्थित लोक सेवा केन्द्र द्वारा आम जनता को किस-किस विभाग की किस-किस योजना/कार्य/सेवा का लाभ दिया जा रहा है ? (ख) मैहर लोक सेवा केन्द्र द्वारा 01 जनवरी 2014

से प्रश्न दिनॉक तक किन-किन प्रकरणों में समय-सीमा में सेवा प्रदाय नहीं की गई ? क्यों ? इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा लोक सेवा केन्द्रों पर सेवाओं की संख्या बढ़ाई गई है, किन्तु केन्द्र संचालकों द्वारा पर्याप्त स्टाफ-संसाधन न रखने से आम-जनता को अनावश्यक विलम्ब होता है ? इस हेतु विभाग क्या कार्यवाही करेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) मैहर स्थित लोक सेवा केन्द्र द्वारा आम जनता को 16 विभागों की 68 अधिसूचित सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है । ''विस्तृत विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - एक**'' (ख) लोक सेवा केन्द्र मैहर में 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक 11530 प्रकरण समय सीमा बाहय निराकृत किये गये हैं । लोक सेवा केन्द्र पर प्राप्त आवेदनों पर पदाभिहित अधिकारियों के माध्यम से सेवा प्रदाय की जाती है । विस्तृत विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - दो** पर है । विभाग द्वारा समय सीमा बाहय प्रकरणों में स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लेकर कार्यवाही हेतु प्रथम/द्वितीय अपीलीय अधिकारियों को पत्र जारी किये गये हैं। (ग) जी हॉ । विभाग द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही सेवाओं की संख्या बढ़ाई गई है । लोक सेवा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार लोक सेवा केन्द्र में केन्द्र संचालक द्वारा पर्याप्त संसाधन व स्टॉफ उपलब्ध है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>परिशिष्ट - "पच्चीस"</u>

<u>खाद्यान्न पर्चियों का वितरण</u>

15. **(क्र. 251) श्री हर्ष यादव :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिलान्तर्गत देवरी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या सभी अन्त्योदय व प्राथमिकता परिवारों को पात्रतानुसार खाद्यान्न पर्ची का वितरण किया जा चुका हैं ? नहीं, तो क्यों ? (ख) उक्त क्षेत्र के किस निकाय/ग्राम पंचायत के कितने पात्र परिवारों को प्रश्न दिनांक तक खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है और क्यों ? कब तक पर्ची उपलब्ध करा दी जावेंगी ? (ग) खाद्यान्न पर्ची के अभाव में पात्र हितग्राही परिवारों को क्या खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ? नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (घ) देवरी विधानसभा क्षेत्र के सभी पात्र हितग्राहियों को किस समय-सीमा में खाद्यान्न पर्चियां उपलब्ध करा दी जावेंगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) सागर जिले अंतर्गत देवरी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत चिन्हांकित पात्र परिवारों की श्रेणियों के 56,433 परिवारों को समग्र पोर्टल पर सत्यापन किया जाकर उनको खाद्यान्न प्रदाय हेतु पात्रता पर्ची वितरित की जा चुकी है । (ख) देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत समग्र पोर्टल पर सत्यापित समस्त पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची उपलब्ध करा दी गई है । कलेक्ट्रर, सागर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जनपद पंचायत देवरी में 1623 एवं जनपद पंचायत केसली में 466 अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के सत्यापन का कार्य प्रचलित है, इनके सत्यापन उपरांत पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदान कर दी जाएगी । (ग) जी नहीं । आवेदक परिवारों को सत्यापन के उपरांत पात्रता पर्ची के आधार पर पात्र हितग्राहियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण

प्रणाली अंतर्गत सामग्री का वितरण कराए जाने का प्रावधान है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) पात्र परिवारों का सत्यापन एवं उनको पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है । प्रश्नांश 'ख' में वर्णित परिवारों में से पात्र परिवारों को एक माह में पात्रता पर्ची उपलब्ध करा दी जावेगी।

<u>लोक सेवा केन्द्र की कार्यप्रणाली</u>

16. **(क्र. 252) श्री हर्ष यादव :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधानसभा क्षेत्र के लोक सेवा केन्द्र द्वारा आम जनता को किस-किस विभाग की किन-किन सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है ? संचालन एजेंसी द्वारा कितना स्टाफ पदस्थ किया गया है ? क्या यह पर्याप्त है ? (ख) 01 जनवरी 2013 से अब तक केन्द्र द्वारा किन-किन प्रकरणों में समय-सीमा में कार्य सम्पन्न नहीं किया है ? इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या यह सही है विभाग द्वारा सेवाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है किंतु संचालक द्वारा अपर्याप्त स्टाफ के कारण समय पर सेवाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है ? इस संबंध में क्या कार्यवाही की जावेगी ? (घ) लोक सेवा केन्द्रों द्वारा नियम विरूद्ध राशि वसूली की शिकायतों के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? केन्द्रों पर शासन का नियंत्रण बढ़ाये जाने व स्वेच्छाचारिता रोकने हेतु क्या उपाय किये जावेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) देवरी विधानसभा क्षेत्र के लोक सेवा केन्द्र द्वारा 16 विभागों की 68 सेवाएं प्रदाय की जा रही है । विस्तृत विवरण **संलग्न परिशिष्ट पर है** । लोक सेवा केन्द्र में एक संचालक एक जनसंपर्क अधिकारी और 03 कम्प्यूटर आपरेटर का स्टॉफ नियुक्त किया गया है । जो पर्याप्त है । (ख) लोक सेवा केन्द्र द्वारा समस्त सेवाओं को समय-सीमा में फीड किया गया है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी, हॉ यह सही है कि विभाग द्वारा सेवाओं की संख्या बढाई जा रही है, किंतु यह सही नहीं है कि संचालक द्वारा अपर्याप्त संख्या में नियुक्त स्टॉफ के कारण लोगों को सेवाएं नहीं मिल पा रही है । अत: शेष प्रश्न उपस्तिथ नहीं होता । (घ) लोक सेवा केन्द्र देवरी द्वारा आवेदकों से नियम विरूद्ध राशि वसूली संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । केन्द्रों पर शासन का नियंत्रण बढ़ाये जाने संबंधी विभागीय दिशा निर्देश जारी किये गये है ।

<u>परिशिष्ट - "छब्बीस"</u>

<u>दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण</u>

17. **(क्र. 259) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में वर्ष 1988 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों (समयपाल) चौकीदार एवं खल्लासी को कब तक नियमित किया जायेगा ? (ख) अब तक कितने समय पाल/खल्लासी एवं चौकीदार को नियमित किया गया है ? (ग) वर्तमान तक नहीं किया गया तो क्या कारण है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र एफ-5-3/2006/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 के अनुसार विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी

कर्मचारियों (समयपाल), चौकीदार एवं खल्लासी को समकक्ष पदों पर नियमित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है । समय-सीमा बताई जाना संभव नही है । (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16 मई 2007 के अनुक्रम में पात्र पाये गये 11 चौकीदारों को नियमित किया गया है । विभाग में समयपाल/खल्लासी के नियमित पद स्वीकृत न होने के कारण इन्हें नियमित नहीं किया गया । (ग) उत्तरांश "ख" अनुसार ।

<u>अवैध कालोनी की जांच एवं कार्यवाही</u>

18. **(क्र. 268) श्री मधु भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि तहसील व जिला बालाघाट अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसमी में गायत्री पूरम कालोनी में कालोनाईजर द्वारा कालोनी की सड़क, नाली, कुंआ एवं गार्डन की शेष भूमि को भी प्लाट के रूप में विक्रय कर दिया है ? (ख) कलेक्टर महोदय जिला बालाघाट और पुलिस अधीक्षक जिला बालाघाट को उक्त संबंध में शिकायत प्रेषित की गई थी, बावजूद इसके उचित कार्यवाही वर्तमान तक शून्य है ? कारण स्पष्ट करें ? (ग) क्या यह सही है कि प्लाट खरीदी बिक्री में बगैर डायवर्सन के रजिस्ट्रीकृत हो जाती है ? जमीन रजिस्ट्री के क्या नियम हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ । (ख) जी नहीं । नियमों के अधीन कालोनाईजर के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलन में है । (ग) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 एवं मध्यप्रदेश पंजीयन नियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्लाट व जमीन रजिस्ट्री की कार्यवाही की जाती है ।

<u>भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच एवं कार्यवाही</u>

19. **(क्र. 269) श्री मधु भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13 में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत उड़दना, हर्राभाट, फतेहपुर, बड़गांव सहित अन्य 10 से 15 ग्रामों में शौचालय निर्माण हेतु शासन से राशि आहरण हो चुकी है ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्न दिनांक तक उक्त निर्माण कार्यों में अनियमिततायें बरती गई हैं, तथा कुछ निर्माण कार्य किये बिना ही राशि का आहरण हो चुका है ? (ग) प्रश्नांक (क) एवं (ख) के संदर्भ में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, सरपंच/सचिव के विरूद्ध में क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) ग्राम पंचायत मझगांव एवं हर्राभाट के निर्माण कार्यों में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? किस-किस शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) यह सही है कि ग्राम पंचायत उड़दना, हर्राभाट, फतेहपुर, बड़गांव में शौचालय निर्माण हेतु राशि आहरण की गई है । (ख) जी हॉ । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत परसवाड़ा द्वारा ग्राम पंचायत हर्राभाट में कराई गई जॉच के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा दिनांक 06/06/2014 में पारित आदेश अनुसार राशि वसूली एवं एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है । आदेश

की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ग) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा दिनांक 06/06/2014 द्वारा पारित आदेश में अधिकारी/कर्मचारी एवं सरपंच के विरूद्ध वसूली एवं एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेश के विरूद्ध तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परसवाड़ा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है । आदेश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । श्री भगतसिंह तेकाम, सरपंच ग्राम पंचायत हर्राभाट को पद से पृथक किया जा चुका है । आदेश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स"** अनुसार है। श्री रघुनाथ मानकर, सचिव ग्राम पंचायत हर्राभाट को निलंबित किया जा चुका है । आदेश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द"** अनुसार है । (घ) ग्राम पंचायत हर्राभाट के निर्माण कार्यो में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कलेक्टर (जन सुनवाई) बालाघाट को दिनांक 31/12/2013 को शिकायत प्राप्त हुई है, शेष उत्तर प्रश्नांश "ग" के अनुसार है ।

ग्राम पंचायतों को वाई फाई सुविधा से जोड़ा जाना

20. **(क्र. 296) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. को संचार क्रान्ति से जोड़ने हेतु प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को वाई फाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराना युवाओं एवं रोजगार की उपलब्धता में सहायक होगा ? (ख) यदि हां, तो म.प्र. शासन कब तक प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं गांवों को वाई फाई इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे नेटवर्क की समस्या का समाधान होने के साथ-साथ सूचनाऐं प्राप्त होना सुगम हो सकेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नही । वाई फाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य नहीं है । भारत सरकार द्वारा (नोफन) नेशनल आप्टिकल फाईवर नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों को ब्राण्ड बैंण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध करने हेतु मध्यप्रदेश में बी बी एन एल (ब्राण्ड बैंण्ड नेटवर्क लिमिटेड) एवं बी एस एन एल (भारत संचार निगम लिमिटेड) को कार्य दिया गया है । (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में उत्तर उपस्थित ही नही होता ।

लंबित कार्यों की जानकारी

21. **(क्र. 302) श्री विश्वास सारंग :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में जिला भोपाल और रायसेन में वाटर शेड योजनांतर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? वर्षवार,जिलावार आवंटन राशिवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत वाटर शेड योजनांतर्गत विकास एवं निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी का गठन किस एजेंसी/संस्था से कराया गया ? क्या उक्त कमेटी का अनुमोदन ग्रामसभा में कराया गया था ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण दें ? नियम बतायें ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत विकास एवं निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण परियोजना के टीम लीडर,तकनीकी विभाग के तकनीकी अधिकारी, जनपद/जिला स्तर तथा राज्य शासन के किस पदनाम/नाम अधिकारी ने किस-किस दिनांक को किया ? वर्षवार,

दिनांकवार,अधिकारी के पदनाम/नामवार जानकारी दें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों ने क्या-क्या अनियमितताएं पायी ? तथा उन अनियमितताओं पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है । (घ) अनियिमितताऐं नहीं पायी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

वाटर शेड योजना में प्राप्त राशि

22. **(क्र. 303) श्री विश्वास सारंग :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 की कार्ययोजना में जिला पंचायत भोपाल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये थे ? उनमें से कितने कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत ऐसे कितने कार्य हैं जो प्रांरभ ही नहीं कराये गये ? वर्षवार,कार्यवार, राशिवार, योजनावार जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत जो कार्य प्रारंभ नहीं किये गये हैं क्या उनकी राशि विभाग को सरेंडर कर दी गई है ? यदि हां कब और कितनी मदवार ब्यौरा दें ? यदि नहीं तो समय पर कार्य प्रारंभ न होने के लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या उन पर क्या कार्रवाई की जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) सभी कार्य प्रारंभ है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) सभी कार्य प्रारंभ है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

दोष सिद्ध होने पर भी कार्यवाही नहीं की जाना

23. **(क्र. 315) श्री संजय पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग जिला कटनी कार्यालय में किस-किस अधिकारी कर्मचारी के पास किन-किन शाखाओं का प्रभार है ? क्या संलग्नीकरण/ कार्यव्यस्था के संबंध में कोई जांच कराई गई है ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) में कोई कर्मचारी/ अधिकारी कार्यव्यस्था/संलग्नीकरण में जिला मुख्यालय में नहीं है तो उर्वरक/बीज/पौष संरक्षण, लायसेंस शाखा, बीज शाखा एवं सूरज धारा अन्नपूर्णा बीज ग्राम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जैविक प्रोत्साहन योजना का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है ? (ग) यदि किसी कर्मचारी को नियम विरूद्ध कार्य सौंप कर कराया जा रहा है, तो उसके लिये क्या जिला अधिकारी दोषी है ? क्या यह सही है कि जांच के समय उपसंचालक द्वारा सत्यता को छिपाया गया है ? (घ) क्या यह सही है कि संलग्नीकरण समाप्त करने हेतु संचालक कृषि के प.क्र. अ-10/एक-11/आडिट/573 दिनांक 24.06.13 द्वारा समाप्त कर प्रमाण पत्र चाहा गया था कि अब कोई भी कर्मचारी संलग्न नहीं है ? (ड.) यदि प्रश्नांश (घ) हां तो असत्य जानकारी देने के लिये तथा नियमों का उल्लंघन

कर कार्यालयीन कार्य कराने हेतु कार्यालय प्रमुख दोषी है ? यदि हॉ, तो दोषी अधिकारी के ऊपर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ग) जी नहीं । प्रश्नाधीन व्यवस्था कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए की गई है । (घ) जी हॉ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है । (ड.) जी नहीं । कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियमों के उल्लंघन की शिकायत

24. **(क्र. 316) श्री संजय पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कटनी द्वारा वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-1-11/2010 नियम/4 दिनॉक 16.09.2010 एवं पत्र क्र. 1-2/2013 नियम 4 दिनॉक 22.10.2013 तथा म.प्र. कोषालय संहिता भाग 1 के सहायक नियम 284 का उल्लंघन कर वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक कितना-कितना अग्रिम का किस-किस अधिकारी द्वारा आहरण कर किन-किन बैंक खातों में कितनी-कितनी राशि पेशगी के रूप में आहरण कर रखी गयी है ? आहरण, दिनॉकवार, वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) क्या दिनॉक 28.02.2009 के बाद बैंक खातों में राशि रखने पर वित्त विभाग के आदेश दिनॉक 10.02.2009 द्वारा जमा राशि पर 2 प्रतिशत दण्ड राशि प्रतिमाह आहरण अधिकारी से वसूली किये जाने हेतु प्रावधान है ? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) हॉ तो वर्षवार किस-किस आहरण अधिकारी के ऊपर नियम विरूद्ध दण्ड राशि की वसूली की गई ? एवं कितनी राशि शेष हैं ? आहरण अधिकारीवार जानकारी देवें ? (घ) यदि दण्ड राशि की वसूली नहीं की गई एवं पत्र दिनॉक 16.09.2010 तथा 22.10.2013 का उल्लंघन कर राशि का आहरण कर गम्भीर अनियमितता की गई है तो ऐसे दोषी आहरण अधिकारी के ऊपर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ? यदि हॉ तो कब तक ? नहीं तो क्यों बतायें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है । (ख) जी हॉ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है । (ग) उत्तरांश (ख) के परिपेक्ष्य में जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । (घ) जी हॉ । जांच उपरांत गुणदोष के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

पी.सी.ओ./बी.पी.ओ./सहायक संचालक की स्थिति

25. **(क्र. 324) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग अन्तर्गत पंचायत ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत पंचायत राज संचालनालय के अधीन कितने पी.सी.ओ./बी.पी.ओ./सहायक संचालक कार्यरत हैं ? जनवरी 2008 की स्थिति में एवं दिसम्बर 2014 की स्थिति में जिलेवार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) पंचायत विभाग के

राज्य कर्मचारियों को कितने वर्ष की सेवा उपरांत समयमान वेतनमान दिया जाता है ? इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा कब-कब आदेश जारी किए गए हैं ? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ग) प्रश्नांश (क) कर्मचारियों को समयमान स्वीकृत करने के लिए कौन-कौन सक्षम अधिकारी घोषित हैं ? कौन-कौन कर्मचारी प्रश्नांश (ख) अनुरूप दूसरा एवं तीसरा समयमान वेतनमान की पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को समयमान का लाभ दिया जा चुका है ? दिनांक बतावें ? कौन-कौन कर्मचारी शेष हैं और क्यों ? इन्हें कब तक दे दिया जावेगा ? दिसम्बर 2014 तक प्रश्नांश (क) में कौन-कौन कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें दूसरा एवं तीसरा समयमान दिया जाना था और नहीं दिया गया, तो कब तक दिया जाएगा ? समय सीमा बतावें? कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सी.एम. हेल्पलाइन सुविधा का प्रयोजन

26. **(क्र. 325) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जनशिकायत निवारण हेतु 181 सुविधा का प्रयोजन क्या था ? आज दिनांक तक 181 पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? जिलेवार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) क्या L4 स्तर पर की गई शिकायतें निराकरण हेतु लंबित है अगर हॉ तो कितनी और क्यों ? (ग) जनशिकायत निवारण हेतु जन सुनवाई एवं 181 सुविधा में क्या अंतर है ? (घ) वर्ष 2014 में जनसमस्या निवारण हेतु जनसुनवाई, मुख्यमंत्री ऑनलाईन एवं 181 सुविधा में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) सीएम हेल्पलाइन (181) सुविधा का प्रयोजन नागरिकों के लिए त्वरित शिकायत निवारण एवं जानकारी प्रदाय करने हेतु तंत्र विकसित करना है । सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत टोल फ्री नंबर 181 के अंतर्गत कॉल पर, शासकीय जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अथवा शिकायत दर्ज किया जाना अथवा मांग और सुझाव दिए जा सकते है । दिनांक 06/02/2015 तक 181 पर 614129 शिकायतें प्राप्त हुयी । जिलेवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) जी हां । दिनांक 06/02/2015 तक की स्थिति में L4 लेवल पर 11487 शिकायतें लंबित है । शिकायतें निराकरण हेतु कार्यवाही प्रचलित होने के कारण लंबित है । (ग) जनसुनवाई के अंतर्गत विभागाध्यक्ष से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय के, कार्यालय प्रमुख प्रत्येक मंगलवार को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के मध्य कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई की जाती है । नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण किया जाता है । वहीं 181 सुविधा, टोल फ्री फ़ोन आधारित सुविधा है जिसमें नागरिक एक कॉल द्वारा जानकारी/शिकायत/मांग/सुझाव कर सकता है । इस तंत्र में नागरिक को व्यकिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं होती वरन सब कुछ पोर्टल आधारित है। (घ) वर्ष 2014 में सीएम हेल्पलाइन 181 सुविधा में 504737 शिकायतें प्राप्त हुई, मुख्यमंत्री ऑनलाईन (जन शिकायत निवारण ऑनलाईन पोर्टल) में 67804 शिकायतें प्राप्त हुयी । जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स"**

अनुसार है । सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 11-29/2009/1/9 दिनांक 30 जून, 2009 के अनुसार जनसुनवाई विभागाध्यक्ष से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय के, कार्यालय प्रमुख प्रत्येक मंगलवार को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के मध्य कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई करेंगे । नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण किया जाता है ।

किचिन शेड का निर्माण

27. **(क्र. 333) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम कटारे का पुरवा, पंचायत पठादा, वि.ख. छतरपुर, जिला छतरपुर के स्कूल परिसर में किचिन शेड का निर्माण किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) हॉ है तो उक्त किचिन शेड कब एवं कितनी राशि का स्वीकृत किया गया ? इसके निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी किसे नियुक्त किया गया था ? (ग) इस किचिन शेड की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या निर्माण तय मापदण्डानुसार किया गया जा रहा है ? इसका कितना भुगतान किया जा चुका है ? कितना शेष है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां । ग्राम कटारे का पुरवा, पंचायत पठादा, वि.ख. छतरपुर, जिला छतरपुर के स्कूल परिसर में किचिन शेड का निर्माण किया गया था । (ख) उक्त किचिन शेड निर्माण हेतु वर्ष 2007 में 0.60 लाख राशि स्वीकृत की गई थी, इसके निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पठादा को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था । (ग) उक्त किचिन शेड का कार्य पूर्ण है । निर्माण तय मापदण्डानुसार किया गया है । इस कार्य पर 0.60 लाख भुगतान किया जा चुका है । अब कोई भुगतान शेष नहीं है ।

Wi-Fi सेवा प्रारंभ की जाना

28. **(क्र. 334) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसी नगर को सम्पूर्ण या आंशिक रूप से Wi-Fi सुविधा से युक्त करने हेतु विभाग की क्या कार्य योजना है ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र बिजावर में उक्त योजना को प्रारंभ किया जा सकता है ? (ग) प्रश्नांश (ख) हां है तो इस योजना की अनुमानित लागत क्या होगी ? इसमें शासन से कितनी सहायता राशि प्राप्त होगी ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) किसी नगर को सम्पूर्ण या आंशिक रूप से Wi-Fi सुविधा से युक्त करने हेतु विभाग की कोई योजना नहीं है । (ख) एवं (ग) **"क"** की जानकारी के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्वीकृत स्टापडेम सह रपटा का निर्माण

29. **(क्र. 356) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद जतारा, जिला टीकमगढ़ के, ग्राम देवराहा मचौरा मार्ग पर स्वीकृत स्टापडेम सह रपटा का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा, तथा शेष अन्य निर्माण कार्य जतारा जनपद के तहत आर.ई.एस. विभाग द्वारा कितने अधूरे कार्य शेष छोड़ दिये गये है

जानकारी कार्यों के नामवार बताये तथा कितने कार्य शेष है एवं कितने कार्य पूर्ण हो चुके है ? (ख) यह भी सच है कि कुछ निर्माण कार्यो की गुणवत्ता ठीक ना होने कारण वह नष्ट हो गये है पिछले वित्तीय वर्ष 2014 की सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराये ? यदि कुछ निर्माण कार्य एक ही बरसात में ठह गये है, तो उनकी जांच करायेंगे यदि हां तो समयावधि बताये ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जनपद जतारा जिला टीकमगढ़ के ग्राम देवराहा मचौरा मार्ग पर स्वीकृत स्टाप डेम सह रपटा का निर्माण कार्य जून 2015 तक पूर्ण करा लिये जाने की संभावना है । जतारा जनपद के तहत आर.ई.एस. विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं, वित्तीय वर्ष 2014 में बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज योजनान्तर्गत स्टापडेम दिगोडियन घाट रामगढ़ वर्षांत में क्षतिग्रस्त हुआ था । ठेकेदार के व्यय पर स्टापडेम का क्षतिग्रस्त कार्य पूर्ण करा लिया गया है, साथ ही कार्य से संबंधित उपयंत्री को निलंबित भी किया गया था, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सहकारी समितियों के विरूद्ध कार्यवाही

30. **(क्र. 376) श्री आरिफ अकील :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल नगर के अन्तर्गत विभिन्न सहकारी समितियों के द्वारा विगत एक वर्ष में कुल कितनी शिकायतें उपायुक्त सहकारिता विभाग के विरूद्ध की गई, तथा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या यह सही है कि प्राप्त शिकायतों में उपायुक्त को दोषी माना है ? यदि हां, तो गम्भीर शिकायतों के होने के बावजूद भी उपायुक्त को भोपाल में ही पदस्थ रखने का क्या औचित्य है ? क्या इससे अन्य जांच प्रभावित नहीं होगी ? क्या शासन जांच के परिप्रेक्ष्य में अन्यत्र पदस्थ करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एक शिकायत दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्यादित भोपाल द्वारा उपायुक्त सहकारिता, भोपाल के विरूद्ध की गई है. शिकायत की जांच संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, भोपाल संभाग द्वारा की जा रही है तथा जांच की कार्यवाही निष्कर्षाधीन है. (ख) जी नहीं, उत्तरांश "क" के अनुसार कार्यवाही जांच निष्कर्षाधीन है.

अंध एवं मूकबधीरों के लिए शालाऐं

31. **(क्र. 401) श्री सचिन यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अंध, मूकबधिरों के लिए शाला खोलने की क्या प्रक्रिया और नियम है और शासन इनके लिए किस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित करता है ? (ख) कसरावद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अंध, मूकबधिरों की कुल संख्या क्या है ? स्थानवार व ग्रामवार बताये ? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित अंध, मूकबधिरों के लिए तहसील कसरावद मुख्यालय में शाला प्रारंभ की जायेगी हां तो कब तक नहीं तो क्यों कारण बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली, फर्म्स एवं सोसायटी में पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं को निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार धारा 52 का प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा विभागीय मान्यता प्राप्त होने पर निःशक्त बच्चों के विशेष विद्यालय का संचालन किया जा सकता है । निःशक्त व्यक्तियों के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । (ग) जिले से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये कार्य

32. **(क्र. 402) श्री सचिन यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मनरेगा योजना में प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने कार्य किस-किस योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये एवं उक्त कार्यों के लिए कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए कब-कब स्वीकृत की गई और कितनी-कितनी राशि शेष है ? कार्य योजनावार तथा वर्षवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है ? हॉ, तो बतायें ? नहीं, तो क्यों कारण सहित जानकारी दें एवं इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? समय सीमा बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना अंतर्गत प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक 11014 कार्य स्वीकृति किये गये । स्वीकृत कार्यों में तालाब/तलाई, वाटर पोण्ड, चेकडेम, ग्रेवल रोड, खेत/सुदूर सड़क, सी.सी. रोड, वृक्षारोपण, शांतिधाम, कपिलधारा, नंदन फलोद्यान, मेढ़बंधान, खेत तालाब, ग्रामीण क्रीडांगन, निर्मल वाटिका (मर्यादा) , पशु शेड, राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदि अनुमत कार्य शामिल है । प्रश्नाधीन अवधि में वर्षवार स्वीकृत कार्यों की संख्या, स्वीकृत तथा शेष राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर दर्शित है । निर्माण कार्यों की कार्यवार जानकारी जनसामान्य के अवलोकनार्थ नरेगा योजना के पोर्टल www.nrega.nic.in पर दर्शित है । (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कुल 11014 कार्यों में से कुल 8934 पूर्ण एवं 2080 प्रगतिरत/अपूर्ण हैं । योजना मांग आधारित होने से अपूर्ण कार्यों का पूर्ण होना जाबकार्डधारियों की मांग एवं भारत सरकार से पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर निर्भर होने से कार्य पूर्ण होने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

33. **(क्र. 403) श्री सचिन यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी-कितनी है ? ग्रामवार बतायें ? (ख) प्रश्न (क) में दर्शित ग्रामों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वे कब तक किया गया ? इसके क्या मापदण्ड व

प्रक्रिया है ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या उक्त परिवारों के सर्वे समय-समय पर किये गये है हां तो दिनांकवार बतायें ? आगामी सर्वे कब तक किया जाना है उसकी विस्तृत जानकारी दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कुल संख्या २६३६१ है । ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) प्रश्न (क) में दर्शित ग्रामों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वे २००३ की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** में दर्शित १३ प्रश्नों के उत्तर से प्राप्त अंको के आधार पर किया गया है । उक्त सर्वे में शासन निर्देशानुसार कटआफ अंक १४ या १४ से कम प्राप्तांक वाले ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पात्र माना गया है । इस कार्य के लिये गणना ब्लाक अनुसार प्रगणकों की नियुक्तिकर उनके द्वारा सर्वे कार्य कराया गया है । इस सर्वे कार्य का ग्रामसभा से अनुमोदन प्राप्त कर दावे आपत्तिआमत्रित किये गये इनका निराकरण करने के पश्चात पुन: अंतिम रूप से इस सर्वे कार्य के ग्रामसभा से अनुमोदन कराया गया है । (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त परिवारों के गरीबी रेखा की सूची में नाम जोडने हेतु आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के परिपत्र क्रमांक ९५/२२/वि-६/लोसेप्र भोपाल दिनांक ०९/०७/२०१३ अनुसार आवेदकों द्वारा तहसीलदार कार्यालय को आवेदन किये जाने पर अथवा मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१० के तहत लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किये जाने पर किये जाते है । यह प्रक्रिया निरंतर प्रचलन में है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स"** अनुसार है ।

अधिकारियों की पदस्थापना

34. **(क्र. 425) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के रूप में कौन-कौन व्यक्ति कब-कब प्रभार में रहे 01.01.2007 से जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत अधिकारियों के प्रभार में कौन-कौन क्षेत्र कब-कब रहे बतायें ? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत अधिकारियों ने राशन कार्ड से अधिक आवंटन एवं कैरोसिन फुटकर बिक्री दर में अनियमितता को लेकर कब-कब प्रतिवेदन दिये अधिकारी वार दिनॉकवार बतायें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** अनुसार है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स' अनुसार** है ।

अधूरे मार्ग का निर्माण

35. **(क्र. 429) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बहोरीबंद विधानसभा के रीठी जनपद पंचायत के अंतर्गत पिपरौध से रैपुरा मार्ग प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत कर बनाया गया था ? क्या यह अधूरा पड़ा है ? (ख) यदि उक्त रोड स्वीकृत है तो कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? समय सीमा निर्धारित कर बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां, बहोरीबंद विधानसभा के रीठी जनपद पंचायत के अंतर्गत पिपरौध से रैपुरा मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत दिनांक 31.03.2005 को पूर्ण कराया गया है । (ख) मार्ग दिनांक 31.03.2005 को पूर्ण कराया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

प्रदूषण कम करने के लिये कार्यवाही

36. **(क्र. 455) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए पी.यू.सी. (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल कार्ड) बनाने के निर्देश जारी किए हैं ? यदि हां, तो प्रश्न पूछे जाने तक इन्दौर जिले में रजिस्टर्ड वाहनों में से कितने वाहनों के पी.यू.सी. बनाऐ जा चुके हैं ? इन्दौर जिले की तहसीलवार संख्या स्पष्ट करें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : जी हां, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6 दिनांक 09 फरवरी 2001 द्वारा मध्यप्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र की स्थापना का प्रावधान है, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । इन्दौर जिले में दिनॉक 31.01.2015 तक कुल 1,07,998 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किये गये है, जिनकी तहसीलवार स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम	संख्या
1	इन्दौर	90614
2	देपालपुर	2815
3	सांवेर	3467
4	महू	8545
5	हातोद	2557
	कुल योग	107998

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

मनरेगा के तहत शिकायतें

37. **(क्र. 480) श्री रामनिवास रावत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंम्बल संभाग में योजना प्रारंभ होने के दिनांक से अभी तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत कितने जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत एवं कितने सब इंजीनियरों के विरूद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर किस-किस अधिकारी को दोषी पाया गया है ? जिलेवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों में से कितने प्रकरणों में जांच कर क्या कार्यवाही की गई है ? कितने प्रकरण जांच हेतु लंबित हैं ? उक्त में से कौन-कौन अधिकारी वर्तमान में कहां-कहां पदस्थ हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) चम्बल संभाग में योजना प्रारंभ होने के दिनांक से अभी तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 02 जिला कलेक्टर 02 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, 03 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा 39 सब इंजीनियरों के विरूद् अनियमितताओं की शिकायते प्राप्त होने पर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** कार्यवाही की गई है । जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** ।

स्पर्श अभियान के तहत सुविधाऐं

38. **(क्र. 481) श्री रामनिवास रावत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विकलांगों को चिन्हित किए जाने हेतु चलाए गए स्पर्श अभियान के तहत कितने विकलांगों को चिन्हित किया गया ? जिलेवार संख्या बतावें ? क्या यह सही है कि स्पर्श अभियान के तहत चिन्हित किए गए विकलांगों का सत्यापन कराए जाने पर सरकार द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद भी कई सैकड़ा विकलांग फर्जी निकले ? यदि हॉ तो चंबल संभाग के किन-किन जिलों में कितने-कितने ? इस फर्जीवाड़े के लिए कौन दोषी हैं ? तथा दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार चिन्हित किए गए विकलांगों को स्पर्श अभियान के तहत क्या-क्या सुविधाऐं प्रदान की जा रही है ? नियम निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । जी नहीं शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है ।

कलेक्टर दतिया के निर्देश पर कार्यवाही

39. **(क्र. 489) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कलेक्टर दतिया ने दिनांक 07.08.2014 को उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग दतिया के कार्यालय का औचक निरीक्षण उपरांत दिनांक 22.07.2014 को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग दतिया द्वारा पालन न किए जाने के संबंध में आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को पत्र क्रं./क्यू/स्था./6-2/2014, दिनांक 07.8.2014 लिखा गया था ? (ख) यदि हां, तो उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों, तथा कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । (ख) श्री डी.आर. राजपूत, तत्कालीन उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के विरूद्ध विभागीय आदेश क्र./एफ-4ए-67/2014/14-1 दिनांक 06.02.2015 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गयी है ।

कराये गये कार्यों की जांच

40. **(क्र. 490) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार एवं रौन में दिनांक 01-01-2010 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायतों को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य हेतु दी गई ? पूर्ण विवरण दें ? (ख) विकासखण्ड लहार की ग्राम पंचायत लालपुरा में दी गई राशि में से कितनी राशि का मूल्यांकन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी किया गया एवं वर्तमान में कितनी राशि किस-किस कार्य की शेष है ? (ग) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लालपुरा के सरपंच द्वारा शासन से ली गई राशि से निम्न गुणवत्ता का कार्य कराकर राशि का आहरण कर अनियमितता की है ? (घ) क्या यह भी सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा शासकीय धन राशि का आहरण तो कर लिया गया है, किंतु कई कार्य प्रारंभ ही नहीं किये हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य में जांच कराकर दोषी सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** । (ख) वि.ख.लहार के ग्राम पंचायत लालपुरा में दी गई राशि मूल्यांकन एवं जारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** । (ग) जी नहीं । इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है । (घ) ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की राशि आहरण कर अपने पास रखी है, परंतु कार्य नहीं कराया है । सरपंच ग्राम पंचायत लालपुरा के विरुद्ध म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम,1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही की जावेगी ।

सड़क निर्माण की गुणवत्ता

41. **(क्र. 499) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदार एवं अधिकारियों की मिलीभगत से अनियमितता की जाकर घटिया स्तर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? (ख) क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत बिलहरा से केवलारी तक निर्माणधीन गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण की जांच कराने, मानक स्तर के अनुसार सड़क निर्माण कार्य कराने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु दिनांक 30.12.2014 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैसीनगर को पत्र लिखा था ? (ग) यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक किस-किस अधिकारी और ठेकेदार के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) प्रश्नांश (ख) वर्णित सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण मानक स्तर के अनुसार कब तक पूरा करा लिया जावेगा ? समय सीमा बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं । (ख) जी हॉ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

जैसीनगर को दिनांक 30.12.2014 को पत्र लिखा है । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर को पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । (ग) उक्त पत्र के संबंध में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पत्र क्रं. 2055 दिनांक 02.02.2015 द्वारा दो स्टेट क्वालिटी मॉनीटर की संयुक्त टीम बनाकर जाँच कराये जाने के आदेश दिये गये है । जाँच पूर्ण होने पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाई की जा सकेगी । (घ) बिलहरा से केबलारी मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण

42. **(क्र. 521) श्री जतन उईके :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले की तहसील पांढुरणा अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना की कितनी सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है ? (ख) तहसील पांढुरर्णा की कितनी सड़कें निर्माण की गई है तथा कितना निर्माण होना शेष है ? सड़क निर्माण ठेकेदारों को दी गई अवधि के पश्चात् भी कितने ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण का कार्य अधूरा रखा गया है ? क्या इनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) छिंदवाडा जिले की तहसील पांढुरणा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 50 सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है । (ख) तहसील पांढुरणा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 32 सड़कें निर्मित की गई है, 18 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं । 5 सड़कों का निर्माण कार्य अनुबंधानुसार निर्धारित समयावधि में ठेकेदारों द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है । विलम्ब से कार्य करने वाले उक्त ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही कर उनके चल देयकों से पेनाल्टी हेतु राशि की कटोत्री की जा रही है ।

खरगोन कृषि महोत्सव 2014 में पंजीकृत किसान

43. **(क्र. 522) श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में संपन्न कृषि महोत्सव 2014 में कुल कितने किसान पंजीकृत हुए ? (ख) कुल कितने किसान लाभान्वित हुए, पंचायतवार विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें ? (ग) जिले में कुल कितना व्यय हुआ ? मदवार जानकारी देवें एवं कितने बिलों का भुगतान लंबित है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) खरगोन जिले में कृषि महोत्सव 2014 में कुल 145610 किसान पंजीकृत हुए । (ख) खरगोन जिले में कृषि महोत्सव 2014 में कुल 145610 किसान लाभान्वित हुए हैं । पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है तथा विधानसभावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ग) खरगोन जिले में राशि रूपये 87.60 लाख का व्यय हुआ, मदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है । भुगतान हेतु कोई भी बिल लंबित नहीं है।

विभागीय कार्यों के संबंध में

44. **(क्र. 523) श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यपालन यंत्री खरगोन द्वारा विगत 3 वर्षो में 25 लाख रू. से अधिक के कार्य स्वीकृत हुए ? इनकी सूची कार्य एजेन्सी (विभाग/निविदा द्वारा) सहित देवें ? (ख) उपरोक्त कार्यो के नाम, स्वीकृति दिनांक, लागत तथा संबंधित इंजीनियर के नाम सहित बताए ? (ग) क्या विभागीय कार्यो के लिए पहले निविदाएँ आमंत्रित की जाती है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) विभाग अंतर्गत निर्माण कार्य निविदा पद्धति एवं विभागीय पद्धति से कराये जाते हैं । कार्य जिनमे विभागीय रूप से करने की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति है अथवा रोजगार मूलक कार्य यथा मनरेगा आदि विभागीय रूप से कराये जाते हैं, शेष कार्यों को कार्य विभाग नियमावली के प्रावधान अनुसार निविदा पद्धति से संपन्न कराया जाता है ।

मेपकास्ट में प्रशिक्षण अनुदान / कार्य

45. **(क्र. 531) श्री बाला बच्चन :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) द्वारा 01-01-2012 से 20-01-2015 तक जिन N.G.O. एवं अन्य संस्थाओं को प्रशिक्षण अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है उन संस्थाओं के नाम, कार्य / योजना नाम, राशि सहित वर्षवार बतावें ? (ख) उपरोक्त संस्थाओं को कार्य स्वीकृति किस आधार पर दी जाती है ? यदि इसके लिए समिति गठित की जाती है तो उसके सदस्यों के नाम, पदनाम सहित वर्षवार देवें ? (ग) 01-01-2012 से 20-01-2015 तक इस समिति की बैठको का पूर्ण विवरण उपलब्ध करावे ? चयनित व अचयनित संस्थाओं / फर्मो की जानकारी भी वर्षवार देवें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) से (ग) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में दी गई है ।

मेपकास्ट में महानिदेशक की पदस्थापना

46. **(क्र. 532) श्री बाला बच्चन :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेपकास्ट मे वर्तमान महानिदेशक का नाम, उनकी पदस्थापना दिनांक तक पदस्थापना संबंधी आदेश की छायाप्रति देवें ? (ख) मेपकास्ट में वर्तमान महानिदेशक का मूल विभाग कौन सा है ? उनकी मेपकास्ट में पदस्थापना किन नियमों के तहत हुई है ? (ग) इन्हें मूल विभाग में कब तक भेजा जायेगा ? समय-सीमा बतायें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) मेपकास्ट के वर्तमान महानिदेशक का नाम डॉ. प्रमोद के. वर्मा है । उनकी पदस्थापना का दिनांक 19.08.2008 है । आदेश की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट पर** है । (ख) वर्तमान महानिदेशक का मूल विभाग उच्च शिक्षा विभाग है, इनकी पदस्थापना म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सेवा भर्ती नियम, 1997 के प्रावधान के तहत हुई है । (ग) इन्हें मूल विभाग में भेजने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "उन्तीस"

स्वीकृत निर्माण कार्य

47. **(क्र. 539) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स.क्षेत्र में विगत 3 वर्षो में स्वीकृत निर्माण कार्यो की सूची उनकी स्वीकृति दिनांक,लागत व कार्यपूर्णता दिनांक सहित वर्षवार देवें ? (ख) उपरोक्त कार्यो में जो कार्य पूर्ण हो गये हैं उनकी सूची देवे ? (ग) जो कार्य अपूर्ण हैं, उनमें कितनी राशि आहरित की जा चुकी हैं व कितना कार्य अपूर्ण है कार्य नाम सहित देवें ? ये कब तक पूर्ण होंगे समयसीमा बतावें ? (घ) कार्य अपूर्ण व इनमें विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ? समय सीमा बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** अनुसार । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** अनुसार । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स"** अनुसार । सभी अपूर्ण कार्य प्रगतिरत है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) कार्य में अनियमितता अथवा गुणवत्ता की कमी पायी जाती है तो गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

बीमा क्लेम अनियमितता की जांच

48. **(क्र. 540) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सहकारी संस्था कासोन के प्रबंधक के विरूद्ध दर्ज पुलिस प्रकरण का विवरण देवें ? (ख) क्या शासन ने उपरोक्त संस्था एवं बैजनाथ सेवा सहकारी संस्था की बीमा क्लेम भुगतान में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच करवाई है ? (ग) यदि हां तो जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति देवें ? यदि नहीं तो जांच कब तक करवाई जावेगी ? समय सीमा बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सेवा सहकारी संस्था कासोन के प्रबंधक ईश्वर सिंह परिहार के विरुद्ध संस्था अध्यक्ष द्वारा पुलिस थाना राघवी जिला उज्जैन में दिनांक 25.11.2014 को भारतीय दंड विधान की धारा 420 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. क्रमांक 357 दर्ज कराई गई. (ख) सेवा सहकारी संस्था कासोन की बीमा क्लेम भुगतान में अनियमितताओं की जांच जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. उज्जैन द्वारा कराई गई. बैजनाथ सेवा सहकारी संस्था के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं होने से जांच नहीं कराई गई. (ग) सेवा सहकारी संस्था कासोन के संबंध में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. उज्जैन द्वारा कराई गई जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है. उत्तरांश ख के परिप्रेक्ष्य में बैजनाथ सेवा सहकारी संस्था की जांच कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बीमा योजना के लंबित प्रकरण

49. **(क्र. 547) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत ब्यावरा के अंतर्गत जनश्री/आम आदमी बीमा

योजनांतर्गत एक जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा उनमें कितने स्वीकृत किये गये ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत प्रकरणों में कितने व्यक्तियों को दावा राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा कितने व्यक्तियों को किन-किन कारणों से दावा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा तथा कार्यवाही की गई यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिये कौन दोषी है ? शासन दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक करेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

ओला/पाला पीड़ित कृषक परिवार को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ

50. **(क्र. 548) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन द्वारा ओला/पाला पीड़ित कृषकों के परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत लाभ दिये जाने की घोषणा की गई थी ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य वर्ष 2014-15 में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत कितने ओला/पाला पीड़ित कृषकों के परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त हुये ? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुसार सभी पीड़ित कृषकों के परिवार की कन्याओं को योजनांतर्गत लाभान्वित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अभी तक योजना का लाभ नहीं दिये जाने के लिये कौन दोषी है ? शासन दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक करेगा, तथा कब तक संबंधितों को लाभ प्रदान किया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

धान खरीदी एवं विक्रय की जानकारी

51. **(क्र. 575) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भिण्ड, रीवा एवं सतना जिलों में किस-किस ग्रेड की धान किस-किस दर पर कुल कितनी मात्रा में खरीदी गई है ? केन्द्रवार विवरण दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में खरीदी गई धान का कुल कितना भुगतान कृषकों को किस दर से किया गया ? उक्त खरीदी गई धान के भंडारण हेतु परिवहन में कुल कितना भुगतान, वारदाने की खरीदी में कुल कितना भुगतान एवं भंडारण हेतु कितना भुगतान किस-किस को किया गया ? बिन्दुवार विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वित्तीय वर्षों में खरीदी गई धान का विक्रय किस-किस दिनांक को किस-किस दर पर किया गया ? मात्रा एवं दर दें ? (घ) विक्रय की गई धान से कुल कितना राजस्व (फायदा) भिण्ड जिले में विभाग को प्राप्त हुआ ? आय एवं व्यय का आंकड़ा दें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) भिण्ड, रीवा एवं सतना जिलों में वर्ष 2012-13 में कॉमन धान रू. 1350 एवं वर्ष 2013-14 में कामन धान रू. 1460 प्रति क्विंटल के मान से उपार्जन किया गया है । उपार्जन केन्द्रवार उपार्जित धान की मात्रा का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**

के प्रपत्र "अ" अनुसार है । (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित उपार्जित धान का वर्ष 2012-13 में रू. 1350 एवं वर्ष 2013-14 में रू. 1460 प्रति क्विंटल की दर से कृषकों को राशि रू. 530.44 करोड़ का भुगतान किया गया एवं उपार्जित धान के परिवहन पर रू. 39.42 करोड़; बारदाना पर रू. 38.11 करोड़; धान भंडारण पर रू. 18.44 करोड़ एवं बारदाना भंडारण पर रू. 12.01 करोड़ का भुगतान मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन को किया गया है । (ग) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित वित्तीय वर्ष में खरीदी गई धान का विक्रय दिनांक, मात्रा, दर का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (घ) भिण्ड जिले में धान का विक्रय नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

रोहित गृह निर्माण सोसायटी में काटे गए भूखण्ड

52. **(क्र. 576) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोहित गृह निर्माण सोसायटी भोपाल किस दिनांक को किस-किस नाम से कितने सदस्यों ने बनाई थी ? संस्था का मूल उद्देश्य क्या था ? (ख) उक्त सोसायटी के द्वारा भोपाल के किस वार्ड क्रमांक में किस-किस स्थान पर कितने रकबे की भूमि पर कितनी संख्या में प्लाट काटे ? किस-किस जगह पर किस-किस नाम के सदस्यों को प्लाट उपलब्ध कराये गये ? प्लाट आवंटित हुये सदस्यों के नाम दें ? (ग) प्रश्नतिथि तक उक्त सोसायटी में कुल कितने सदस्य हैं ? नाम दें ? उक्त सदस्यों के द्वारा कितनी-कितनी राशि रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति में प्रश्न तिथि तक जमा करवाई गई है ? किस-किस सदस्य को प्लाट नहीं मिले हैं ? (घ) क्या यह सत्य है कि उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ? अगर हां, तो किस नियम/ अधिनियम के तहत एवं क्या ? कब तक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जायेगी ? समय सीमा दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) दिनांक 23.03.1983, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है. **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है. (ख) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53(12) के अंतर्गत दिनांक 23.12.2014 से संस्था में प्रशासक नियुक्त है, प्रशासक को संस्था का रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, रिकार्ड जप्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत जानकारी दी जा सकेगी. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53(12) के अंतर्गत दिनांक 23.12.2014 से संस्था में प्रशासक नियुक्त है, प्रशासक को संस्था का रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, रिकार्ड जप्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत जानकारी दी जा सकेगी. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (घ) जी हां. **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अ एवं 3 ब अनुसार** है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन का भुगतान

53. **(क्र. 583) श्री जितू पटवारी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने निराश्रितों को कितनी-कितनी पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है ? पृथक-पृथक जानकारी देवें ?

(ख) इन्दौर जिले में प्रश्नांक (क) में उल्लेखित हितग्राहियों को वित्त वर्ष 2014-15 में प्रश्न दिनांक तक किस माह तक का भुगतान किया जा चुका है ? (ग) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन द्वारा उपरोक्त योजना अनुसार भुगतान की जा रही पेंशन राशि वर्तमान में बंद कर दी गई है ? यदि हॉ तो कारण बतावें कि पेंशन राशि का भुगतान क्यों बंद किया गया है ? एवं कौन से माह से बंद किया गया है ? (घ) क्या प्रश्न (क) में उल्लेखित हितग्राहियों को पुन: पेंशन का भुगतान किया जावेगा ? यदि हॉ तो कब से भुगतान किया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** है । (ख) माह दिसम्बर 2014 तक भुगतान किया जा चुका है । (ग) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उत्तरांश-''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "तीस"

सड़क निर्माण बाबत्

54. **(क्र. 586) श्री जितू पटवारी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) में प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इंदौर जिले में प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़के बनाई गई है ? योजनावार,जानकारी प्रदान करें ? (ख) विगत तीन वर्षों में राऊ, देपालपुर, एवं सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से गॉवों में सड़के बनाई गई है तथा कितनी दूरी की सड़के किस ठेकेदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई है ? निर्मित सड़कों की ग्यारण्टी अवधि सहित जानकारी देवें ? (ग) उपरोक्त अनुसार निर्मित सड़कों में से कितनी सड़कों की ग्यारण्टी पूर्ण हो चुकी है अथवा कितनी सड़के घटिया सामग्री उपयोग करने से मानक स्तर की नहीं होकर खराब हो चुकी है ? ग्रामवार जानकारी देवें एवं इन सड़कों की मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा ? (घ) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 78 दिनांक 20.10.2014 द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राऊ विधानसभा क्षेत्र के गॉवों में सड़कों का निर्माण किये जाने हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था ? क्या विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है ? यदि हॉ, तो सड़कों के टेण्डर एवं कार्य आदेश की जानकारी देवें ? यदि नहीं, तो कारण बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है । **(**ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है । (ग) उपरोक्तानुसार सभी सड़कें गारंटी अवधि में है एवं सभी सड़कें गुणवत्ता के अनुरूप है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र प्राप्त नही हुआ है अपितु उक्त पत्र का स्मरण पत्र क्रं. 05 दिनांक 03.01.15 म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण को दिनांक 24.01.15 को प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र में उल्लेखित मार्गों का परीक्षण किया गया, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है ।